

दिनांक: 10 जून 2005

23 जनवरी 2002 के शेयरधारक करार से संबंधित

संशोधन एवं पुनर्कथन करार

विषय-सूची

1	परिभाषाएं और निर्वचन	3
2	संशोधन एवं पुनर्कथन	3
3	वैधता, अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित न करने वाले संशोधन	3
4	विविध	5
5	शासी विधि	5
अनुसूची क	संशोधित एवं पुनर्कथित शेयरधारक करार	

कर्नाटक सरकार - पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग

कर्नाटक स्टाम्प शुल्क के मद में 100/- रुपये तथा 50/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

कर्नाटक सरकार की ओर से स्टाम्प शुल्क एकत्र करने हेतु अधिकृत: स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एम. जी. रोड शाखा, बंगलौर

यह संशोधन एवं पुनर्कथन करार (यह "करार") 10 जून 2005 को निम्नलिखित पक्षकार के बीच निष्पादित किया गया है:

- 1. कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड**, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय खनिज भवन, ईस्ट विंग, चौथी मंजिल, #49 रेस कोर्स रोड, बंगलौर 560 001, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "केएसआईआईडीसी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), प्रथम पक्षकार; और
- 2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन गठित एक प्राधिकरण है और जिसका कॉरपोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110 003, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "भाविप्रा" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), द्वितीय पक्षकार; और
- 3. सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच**, जो कि संघीय गणराज्य जर्मनी के कानूनों के तहत एरलांगेन में निगमित एक कंपनी है और जिसका प्रधान कार्यालय फ्रायसलेबेन्सट्रास 1, डी-91058, एरलांगेन, जर्मनी में स्थित है (इसके बाद इसे "सीमेंस" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), तृतीय पक्षकार; और
- 4. फ्लूघाफेन ज्यूरिख एजी**, जो स्विस् कानून के तहत ज्यूरिख में निगमित एक कंपनी है और जिसका प्रधान कार्यालय सीएच-8058 ज्यूरिख-एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड में स्थित है (इसके बाद इसे "यूनिक ज्यूरिख" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), चतुर्थ पक्षकार; और
- 5. लार्सन एंड टुन्नो लिमिटेड**, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एलएंडटी हाउस, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बैलाड एस्टेट, मुंबई-400 001 में स्थित है (इसके बाद इसे "एलएंडटी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), पंचम पक्षकार; और
- 6. बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय खनिज भवन, भूतल, #49 रेस कोर्स रोड, बंगलौर 560 001, भारत में स्थित है (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), षष्ठम पक्षकार,

(सामूहिक रूप से "पक्षकार")।

पृष्ठभूमि:

(क) पक्षकारों के बीच 23 जनवरी 2002 को निष्पादित शेयरधारक करार ("मूल करार") द्वारा पक्षकार, बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अपने हित के संबंध में प्रवर्तकों के रूप में एक-दूसरे के बीच अपने अधिकारों और दायित्वों पर सहमत हुए थे, तथा इस धारणा पर कार्य किया है कि मूल करार के नियम और शर्तें इसके निष्पादन की तिथि से लेकर आज तक लागू रहेंगी।

(ख) मूल करार के पक्षकार नीचे दी गई शर्तों एवं निबंधनों पर मूल करार को संशोधित एवं पुनर्कथित करने के लिए सहमत हुए हैं।

1. परिभाषाएं और निर्वचन

1.1 परिभाषित शब्दों का समावेश और निर्वचन के सिद्धांतः

(क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मूल करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों तथा प्रयुक्त संदर्भों का इस करार में भी वही अर्थ और अर्थान्वयन होगा।

(ख) इस करार की अनुसूची क इस करार का एक अभिन्न अंग होगी।

1.2 परिभाषाएं

इस करार में:

"नवीन करार" से अनुसूची क (संशोधित एवं पुनर्कथित शेयरधारक करार) में दिए गए प्रारूप में संशोधित और पुनर्कथित मूल करार अभिप्रेत है।

2. संशोधन एवं पुनर्कथन

2.1 मूल करार

पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते हैं कि, समयावधि समाप्त होने के कारण मूल करार की अवधि समाप्त होने के बावजूद, उन्होंने इस धारणा पर कार्य किया है कि मूल करार के नियम और शर्तें इसके निष्पादन की तिथि से इस करार के निष्पादन की तिथि तक लागू रहेंगी।

2.2 नवीन करार

इस करार की तिथि से लागू करते हुए, पक्षकार सहमत हैं कि:

(क) मूल करार को अनुसूची क (संशोधित एवं पुनर्कथित शेयरधारक करार) में दिए गए प्रारूप में संशोधित और पुनर्कथित किया जाता है;

(ख) मूल करार के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व नवीन करार द्वारा शासित होंगे; तथा

(ग) इस करार को मूल करार के साथ एक ही दस्तावेज़ के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इस करार को मूल करार के साथ एक ही विलेख माना जाएगा ताकि मूल करार में "यह करार" के संदर्भों में इस करार का संदर्भ भी शामिल माना जाए।

3. अधिकार या दायित्व प्रभावित न होना

3.1 कोई प्रतिकूल प्रभाव या उन्मोचन नहीं

इस करार में कुछ भी:

(क) इस करार की तिथि से पूर्व मूल करार के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति, प्राधिकार, विवेक या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ख) इस करार की तिथि से पूर्व मूल करार के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व या बाध्यता को उन्मोचित, मोचित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

4. विविध

4.1 शर्तों का समावेश

मूल करार के खंड 18 के प्रावधान इस करार में समाविष्ट किए जाएंगे और वे उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस करार में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए हों।

4.2 प्रतिलेख

यह करार कितनी भी प्रतियाँ (काउंटरपार्ट्स) में निष्पादित किया जा सकता है, और इसका वही प्रभाव होगा मानो उन प्रतियों पर हस्ताक्षर इस करार की एक ही प्रति पर किए गए हों।

5. शासी विधि

यह करार भारतीय कानून द्वारा शासित होगा और इसके अनुसार अर्थान्वित किया जाएगा तथा बंगलौर स्थित न्यायालयों को इसके अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की सुनवाई का अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

[शेष पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है]

हस्ताक्षर एवं निष्पादन

इसके साक्ष्य स्वरूप, इस करार को उपर्युक्त तिथि पर निष्पादित किया गया है।

कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: जी. एल. जेरे

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: आई. एम. विट्टलामूर्ति (महाप्रबंधक)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: जे. सुब्रमणियन (महाप्रबंधक)

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: वी. डी. वी. प्रसाद राव

सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: सी. ब्रेनर / बी. कोलोफ़

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: अधिकृत प्रतिनिधि

फ़्लूघाफ़ेन ज़्यूरिख एजी की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: जे. शनाइडर

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: अधिकृत प्रतिनिधि

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: कार्तिकेयन टी. वी.

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: के. वी. रंगस्वामी

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी के हस्ताक्षर: एस. जी. शिवशंकरन

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: अल्बर्ट बर्नर

अनुसूची क:

संशोधित एवं पुनर्कथित शेयरधारक करार

शेयरधारक करार

‘यह शेयरधारक करार बेंगलोर में, 23वें दिन जनवरी, 2002 को {और 10 जून, 2005 को संशोधित} निम्नलिखित पक्षों के बीच किया गया:

1. **कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय खानिजा भवन, ईस्ट विंग, चौथी मंजिल, #9 रेस कोर्स रोड, बेंगलोर – 560 001 में है (जिसे आगे “केएसआईआईडीसी” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) प्रथम पक्ष; और
2. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110-003, भारत में है (जिसे आगे “एएआई” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष; और
3. **सीमेन्स प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच**, संघीय जर्मनी गणराज्य के कानूनों के अंतर्गत एर्लागेन में निगमित एक कंपनी और जिसका प्रधान कार्यालय फ्रेसलेबेसटर 1, डी-91088, एरलेंगन, जर्मनी में है (जिसे आगे “Siemens” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) तृतीय पक्ष; और
4. **फ्लूगाफेन जूरिख एजी**, स्विट्जरलैंड के कानूनों के अंतर्गत जूरिख में निगमित एक कंपनी और जिसका प्रधान कार्यालय CH-8058 जूरिख-एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड में है (जिसे आगे “यूनिक जूरिख” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) चतुर्थ पक्ष; और
5. **लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय L&T House, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001 में है (जिसे आगे “L&T” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) पंचम पक्ष; और
6. **बेंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय खानिजा भवन, ग्राउंड फ्लोर, #49 रेस कोर्स रोड, बेंगलोर – 560 001 में है (जिसे आगे “Company” कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती भी शामिल होंगे) छठा पक्ष।

जबकि

- क. कर्नाटक सरकार और भारत सरकार भारत के कर्नाटक राज्य में बंगलौर के समीप देवनहल्ली में एक नए (ग्रीनफील्ड) प्रोजेक्ट के रूप में निजी क्षेत्र की सहभागिता से एक विमानपत्तन का विकास करना चाहते हैं, और इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक सरकार ने के.एस.आई.आई.डी.सी. को एक संयुक्त उद्यम के रूप में

विमानपत्तन के विकास की दिशा में सभी गतिविधियाँ करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया है।

- ख. भारत सरकार ने, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अनुसार, इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विमानपत्तन के विकास में भाग लेने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ प्राधिकृत एवं सशक्त किया है।
- ग. यह परियोजना कर्नाटक राज्य और कर्नाटक सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और कर्नाटक सरकार ने एक पथप्रदर्शक नीतिगत निर्णय लेते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, निजी क्षेत्र के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में विमानपत्तन विकास की इस नई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।
- घ. परियोजना के निष्पादन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने कंपनी को कर्नाटक राज्य में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित करवाया है।
- ङ. कर्नाटक राज्य ने परियोजना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि यह राज्य की आम जनता के हित में है और यह अपेक्षा की जाती है कि यह परियोजना क्षेत्र में उद्योगों, पर्यटन और माल (कार्गो) परिवहन के समग्र विकास और वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- च. के.एस.आई.आई.डी.सी. ने जून 1999 में संयुक्त उद्यम के आधार पर निजी वित्तपोषण के माध्यम से परियोजना के लिए बोलियाँ आमंत्रित की थीं।
- छ. भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को संबोधित अपने दिनांक 5 मई 1999 के पत्र द्वारा देवनहल्ली, बंगलौर में निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए बंगलौर ग्रीनफील्ड विमानपत्तन को मंजूरी दी है।
- ज. प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के पश्चात, निजी प्रवर्तकों को परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में चुना गया है।
- झ. निजी प्रवर्तकों ने यह प्रस्ताव दिया था कि परियोजना केवल राज्य की सहायता और रियायती शर्तों पर भूमि पट्टे के साथ ही साध्य है, क्योंकि परियोजना के लिए वित्तपोषण को इक्विटी अंशदानों और ऋणदाताओं से ऋण वित्तपोषण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता था।
- ञ. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार रियायत करार, राज्य सहायता करार और भूमि पट्टा करार की शर्तों के अनुसार कंपनी को सहायता देने के लिए सहमत हुई हैं।
- ट. पक्षकार बिना-प्रतिमाश्रय (नॉन-रिकोर्स) परियोजना वित्तपोषण और संयुक्त उद्यम के आधार पर परियोजना की अभिकल्पना, वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन और रखरखाव का कार्य करने हेतु कंपनी के परिचालन में परस्पर सहयोग करने के इच्छुक हैं।
- ठ. पक्षकार कंपनी की संरचना, कार्यक्षेत्र, प्रबंधन और परिचालन पर अपने करार को यहाँ दर्ज करना चाहते हैं तथा अपने-अपने अधिकारों, दायित्वों और आपस के संबंधों को निर्धारित करना चाहते हैं।

यह सहमति बनी है:

1 परिभाषाएं और निर्वचन

1.1 परिभाषाएं:

1.2 इस करार में, इसके प्रस्तावना कथनों सहित, निम्नलिखित शब्दों, अभिव्यक्तियों और संक्षिप्त रूपों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

“भा.वि.प्रा. इक्विटी सीमा” का अर्थ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अधिकतम इक्विटी अंशदान, जो 50,00,00,000/- रुपये (पचास करोड़ रुपये) से अधिक न हो।

“अधिनियम” का अर्थ है कंपनी अधिनियम 1956, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, पूरित या पुनरीक्षित किया जाए।

“संबद्ध संस्था” का अर्थ किसी भी पक्षकार के संबंध में 100% सहायक कंपनी या 100% नियंत्रण रखने वाली कंपनी से है। इस प्रयोजन के लिए “नियंत्रण” का अर्थ है बोर्ड के गठन को नियंत्रित करने और ऐसी सामान्य बैठक में ऐसी सम्बद्ध संस्था के शेयरों से जुड़े सभी मतदान अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता।

“करार” का अर्थ यह शेयरधारक करार है, जिसमें यहाँ संलग्न सभी संलग्नक और अनुसूचियां शामिल हैं।

“विमानपत्तन” का अर्थ प्रारंभिक चरण से मिलकर बना वह नया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, जिसका निर्माण और परिचालन बी.आई.ए.एल. द्वारा कर्नाटक राज्य में बंगलौर के समीप देवनहल्ली में किया जाना है और इसमें इसके सभी भवन, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां शामिल हैं तथा जहाँ परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, इसका कोई भी विस्तार शामिल है।

“नियमावली” का अर्थ कंपनी के अंतरनियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए।

“बोर्ड” का अर्थ इसके खंड 9 के प्रावधानों के अनुसार गठित कंपनी के निदेशक मंडल से है।

“कार्य दिवस” का अर्थ ऐसे दिन से है जिस दिन सामान्य बैंकिंग कारोबार के लेन-देन के लिए बंगलौर में बैंक आमतौर पर खुले रहते हैं।

“व्यावसायिक योजना” का अर्थ 03 मार्च 2005 दिनांकित इस शीर्षक वाले दस्तावेज से है।

“अध्यक्ष” का अर्थ खंड 9.1 के अनुसार निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से होगा।

“क्लियरेंस” का अर्थ कर्नाटक सरकार और/या भारत सरकार से समय-समय पर परियोजना के संबंध में प्राप्त की जाने वाली और/या प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकृति की लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुमति, निर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकरण या अनुमति से है।

“वाणिज्यिक परिचालन” का अर्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार विमानपत्तन का वाणिज्यिक परिचालन है।

“वाणिज्यिक परिचालन तिथि” का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन कंपनी को नागर विमानन महानिदेशक द्वारा यह लाइसेंस, प्रमाणन या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण प्राप्त होता है कि विमानपत्तन वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है।

“कंपनी” का अर्थ बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से है, जिसके निगमन का विवरण यहाँ अनुसूची 1 में संलग्न है।

“रियायत करार” या **“सी.ए.”** का अर्थ विमानपत्तन के विकास, निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 05 जुलाई 2004 का करार है।

“करोड़” का अर्थ 1,00,00,000 की संख्या से है।

“ऋण” का अर्थ वित्तपोषण करारों के तहत बी.आई.ए.एल. के ऋणदाताओं का बकाया ऋण (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोई भी पुनर्वित्तपोषण शामिल होगा) से है।

“पालन विलेख” का अर्थ यहाँ अनुसूची 2 में निर्धारित प्रासंगिक प्रारूप में मुख्य रूप से पालन विलेख (डीड ऑफ एडहेरेंस) से है।

“विस्तृत परियोजना रिपोर्ट” का अर्थ दिनांक 03 मार्च 2005 का इस शीर्षक वाला दस्तावेज है, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- (i) मास्टर प्लान;
- (ii) नियोक्ता की आवश्यकताएं;
- (iii) वित्तीय मॉडल; और
- (iv) व्यावसायिक योजना;

राज्य सहायता करार के खंड 7.1 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली परिचालन एवं रखरखाव योजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक हिस्सा माना जाएगा।

“विकास बजट” का वही अर्थ होगा जो खंड 4.3 में दिया गया है।

“निदेशक” का अर्थ कंपनी के तत्कालीन निदेशक/निदेशकों से है।

“ई.पी.सी. अनुबंध” का अर्थ बी.आई.ए.एल. और ई.पी.सी. ठेकेदारों के बीच दिनांक 11 मार्च 2005 के वे करार हैं जिनके तहत ई.पी.सी. ठेकेदार परियोजना की अभिकल्पना, खरीद, निर्माण और समापन करेंगे।

“नियोक्ता की आवश्यकताएं” का वही अर्थ है जो प्रारंभिक चरण के निर्माण और समापन के लिए ई.पी.सी. अनुबंधों में दिया गया है।

“इक्विटी प्रतिबद्धता” का अर्थ किसी पक्षकार द्वारा शेयरों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध कुल राशि से है, जैसा कि अनुसूची 3 में दिया गया है।

“इक्विटी अंशदान” का अर्थ अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता के प्रति प्रत्येक पक्षकार द्वारा क्रय की जाने वाली इक्विटी से है।

“इक्विटी प्रतिशत” का अर्थ खंड 7 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार द्वारा धारित या धारित की जाने वाली कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से है।

“विस्तार” का अर्थ मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर विमानपत्तन की सुविधाओं के विस्तार से है।

“उचित बाजार मूल्य” का अर्थ यहाँ अनुसूची 6 में उल्लेखित मूल्यांकन तंत्र का उपयोग करके परिकल्पित शेयरों के मूल्य से है।

“वित्तीय समापन” का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन वित्तपोषण करार (जहाँ तक वे प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और निष्पादित-हस्तांतरित कर दिए गए हैं और उनके तहत पूर्व शर्तें उस सीमा तक पूरी हो गई हैं जो बी.आई.ए.एल. को अपेक्षित आहरण की सूचना देने मात्र से आवश्यक निधि तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो।

“वित्तीय मॉडल” का अर्थ दिनांक 03 मार्च 2005 का इस शीर्षक वाला दस्तावेज है।

“वित्तपोषण करार” का अर्थ (i) बी.आई.ए.एल. को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाताओं के साथ बी.आई.ए.एल. के करारों और (ii) ऊपर (i) में संदर्भित करारों के अनुसार आवश्यक ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों, प्रत्यक्ष करारों और अन्य आनुषंगिक उपक्रमों में से किसी से भी है। वित्तपोषण करार शब्द में राज्य सहायता करार या ऐसा कोई अन्य करार शामिल नहीं होगा जिसके द्वारा या जिसके तहत कर्नाटक सरकार राज्य वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत होती है।

“जी.ए.ए.पी.” (सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत) का अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर प्रकाशित भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से है।

“भारत सरकार” का अर्थ भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के तहत उसके किसी भी विधिवत प्राधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) से है।

“कर्नाटक सरकार” का अर्थ कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के तहत उसकी किसी भी विधिवत प्राधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या व्यक्ति से है।

“सरकारी अनुमोदन” का अर्थ सभी प्राधिकरणों, सहमतियों, अनुमोदनों, अधिसूचनाओं और अनुमतियों तथा किसी भी लाइसेंस, परमिट, निर्णय, छूट या किसी भी प्रकृति के अन्य प्राधिकरण से है जिसे लागू कानून के तहत इस करार के लिए या इसके संबंध में किसी पक्षकार द्वारा किसी दायित्व के निष्पादन या किसी अधिकार के प्रयोग के लिए किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना या उसके पास पंजीकरण या फाइलिंग की जानी आवश्यक है, लेकिन इसमें क्लियरेंस शामिल नहीं है।

“सरकारी प्राधिकारी” का अर्थ भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और संबंधित मामले या मामलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी नगर निगम/स्थानीय निकाय से है।

“गारंटीकृत अधिकतम मूल्य” का अर्थ यहाँ संलग्न अनुसूची 5 (जो 21 सितंबर 2001 को हस्ताक्षरित चर्चाओं का रिकॉर्ड है) में उल्लेखित वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त करने की अधिकतम लागत से है।

“आई.सी.ई.” का अर्थ स्वतंत्र परामर्शदाता इंजीनियर से है।

“आई.पी.ओ.” का अर्थ कंपनी द्वारा शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम से है।

“प्रारंभिक चरण” का अर्थ यहाँ संलग्न अनुलग्नक II में वर्णित सुविधाओं की अभिकल्पना, वित्तपोषण, निर्माण, समापन और चालू (कमीशन) करने से है।

“लाख” का अर्थ 1,00,000 की संख्या से है।

“भूमि” का अर्थ उस भूमि से है जिसमें भूमि पट्टा करार के अनुसार कंपनी का लीजहोल्ड (पट्टेदार) हित है या होगा।

“भूमि पट्टा करार” का अर्थ दिनांक 20 जनवरी 2005 के दस्तावेज और/या पट्टा विलेखों सहित उन विलेखों से है जो निष्पादित किए गए हैं या निष्पादित किए जाने हैं, जिनके अनुसार के.एस.आई.आई.डी.सी./कर्नाटक सरकार ने बी.आई.ए.एल. को भूमि में लीजहोल्ड अधिकार और हित प्रदान किए हैं या करेगी।

“ऋणदाता” का अर्थ उन बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एन.बी.एफ.सी. और अन्य समान निकायों से है जिनका प्रारंभिक चरण और किसी भी विस्तार के वित्तपोषण (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोई पुनर्वित्तपोषण शामिल होगा) के लिए वित्तपोषण करारों के तहत ऋण बकाया है।

“सूचीबद्धता (लिस्टिंग)” का अर्थ खंड 16 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों की सूचीबद्धता से है।

“लॉक-इन अवधि” का वही अर्थ है जो इसके खंड 7.7 में दिया गया है।

“मास्टर प्लान” का अर्थ बी.आई.ए.एल. द्वारा तैयार मास्टर प्लान से है, जिसमें बी.आई.ए.एल. द्वारा स्थल उपयोग की अनुमानित समय-सीमाएं शामिल हैं, जो यहाँ अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

“सारवान भंग (मटीरियल ब्रीच)” का अर्थ किसी पक्षकार द्वारा इसके तहत अपने किसी भी दायित्व का ऐसा भंग है जो इस करार द्वारा परिकल्पित लेन-देन के निष्पादन को सारवान और व्यापक रूप से प्रभावित करता है।

“ज्ञापन” का अर्थ कंपनी के ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए।

“एम.ओ.सी.ए.” का अर्थ नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से है।

“नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग” का अर्थ ऋणदाताओं द्वारा कंपनी को इस आधार पर प्रदान किए गए ऋण वित्तपोषण से है कि कंपनी पर ऐसे ऋणदाताओं का प्रतिमाश्रय (रिकोर्स) केवल कंपनी की परिसंपत्तियों तक ही सीमित होगा, न कि उसके शेयरधारकों तक।

“परिचालन प्रबंधन सेवा करार” या **“ओ.एम.एस.ए.”** का अर्थ बी.आई.ए.एल. और यूनिक ज्यूरिख के बीच दिनांक 08 अप्रैल 2005 को किया गया करार है।

“अन्य निवेशक” का अर्थ निजी प्रवर्तकों के अलावा उन निवेशकों से है, जो खंड 7.4 में उल्लेखित अनुसार शेयर धारण कर सकते हैं।

“पक्षकार” का अर्थ के.एस.आई.आई.डी.सी., भा.वि.प्रा., सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख और एल एंड टी में से किन्हीं दो या अधिक (जैसा भी संदर्भ से अपेक्षित हो) और इस करार की शर्तों के तहत उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त समनुदेशितों से है।

“पक्षकार (एकवचन)” का अर्थ के.एस.आई.आई.डी.सी., भा.वि.प्रा., सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख या एल एंड टी में से किसी एक (जैसा भी संदर्भ से अपेक्षित हो) और इस करार की शर्तों के तहत उसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशित से है।

“कार्यान्वयन गारंटी (परफॉरमेंस सिक्योरिटी)” का अर्थ निजी प्रवर्तकों द्वारा राज्य प्रवर्तकों को इसके तहत अपने दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए 5,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये) की राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से प्रदान की गई बैंक गारंटी से है।

“करार-पूर्व विकास लागत” का अर्थ इस करार के निष्पादन की तिथि तक परियोजना की अभिकल्पना, इंजीनियरिंग और विकास के लिए निजी प्रवर्तकों, राज्य प्रवर्तकों या उनकी संबंधित सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा वहन की गई सभी प्रत्यक्ष बाहरी और आंतरिक लागतों से है, जिसमें इंजीनियरिंग और डिजाइन अध्ययनों, हवाई यातायात अध्ययनों, सलाहकारों और/या परामर्शदाताओं और अन्य तीसरे पक्षकारों को नियुक्त करने की लागत शामिल है, लेकिन इसमें (i) परियोजना में हित प्राप्त करने; (ii) इस करार या किसी परियोजना करार में प्रवेश करने; और (iii) यहाँ (i) और (ii) के संबंध में पक्षकारों द्वारा वहन की गई सभी कानूनी, यात्रा और उपरि-व्यय (ओवरहेड) लागतों से संबंधित पक्षकारों की सभी लागतें शामिल नहीं हैं। करार-पूर्व विकास लागत के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, लागत की प्रत्येक मद का पक्षकारों द्वारा अनुमोदित एक ऑडिट फर्म/परामर्शदाता द्वारा ऑडिट और अनुमोदन किया जाएगा।

“वित्तीय समापन-पूर्व विकास लागत” का अर्थ कंपनी द्वारा इसके खंड 4.3 के अनुसार वहन की गई सभी लागतों से है।

“निजी प्रवर्तक” का अर्थ सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख और एल एंड टी तथा ऐसे अन्य पक्षकार से है जिस पर निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों के बीच समय-समय पर सह-प्रवर्तक बनने के लिए सहमति हो, और इसकी शर्तों के अनुसार उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त समनुदेशितों से है।

“प्रवर्तक” का अर्थ सामूहिक रूप से निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों से है।

“परियोजना” का अर्थ विमानपत्तन की अभिकल्पना, वित्तपोषण, निर्माण, समापन, चालू करना, रखरखाव, परिचालन, प्रबंधन और विकास से है।

“परियोजना करार” में वर्तमान के लिए निम्नलिखित करार शामिल हैं जो निष्पादित किए गए हैं या विधिवत निष्पादित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो:

- (क) रियायत करार;
- (ख) ई.पी.सी. अनुबंध;
- (ग) परिचालन और प्रबंधन सेवा करार;
- (घ) भूमि पट्टा करार;
- (ङ) संचार नौवहन निगरानी / हवाई यातायात प्रबंधन करार;
- (च) राज्य सहायता करार;
- (छ) प्रारंभिक चरण के लिए वित्तपोषण करार; और

(ज) परियोजना के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अन्य सारवान अनुबंध और जिन्हें परियोजना करार के रूप में माना जाने के लिए पक्षकारों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई है।

“परियोजना प्रस्ताव” का अर्थ परियोजना के संबंध में निजी प्रवर्तक के दिनांक 30 अप्रैल 2001 के प्रस्ताव से है जिसमें पक्षकारों द्वारा सहमत संशोधनों और मान्यताओं को शामिल किया गया है और जो मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विकास का आधार बनता है।

“आर.बी.आई.” का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से है।

“पुनरीक्षित इक्विटी प्रतिबद्धता” का अर्थ किसी पक्षकार द्वारा शेयरों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध पुनरीक्षित कुल राशि से है, जैसा कि अनुसूची 3ए में दिया गया है।

“पुनरीक्षित इक्विटी अंशदान” का अर्थ अपनी पुनरीक्षित इक्विटी प्रतिबद्धता के प्रति प्रत्येक पक्षकार द्वारा क्रय की जाने वाली इक्विटी से है।

“रुपये” का अर्थ भारत की मुद्रा से है।

“सचिव” का अर्थ कंपनी के कंपनी सचिव से है।

“पिपटारा राशि (सेटलमेंट अमाउंट)” का वही अर्थ होगा जो स्थिति अनुसार राज्य सहायता करार या रियायत करार में दिया गया है।

“शेयर” का अर्थ कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में प्रत्येक 10/- रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों से है।

“राज्य प्रवर्तक” का अर्थ के.एस.आई.आई.डी.सी. और भा.वि.प्रा. तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त समनुदेशितों से है।

“राज्य सहायता” का अर्थ राज्य सहायता करार के अनुसार परियोजना के लिए कंपनी को कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सहमत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से है।

“राज्य सहायता करार” का अर्थ कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य सहायता प्रदान करने के संबंध में कर्नाटक सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 20 जनवरी 2005 को किया गया करार है।

“हस्तांतरण तिथि” वह तिथि होगी जिस दिन बी.आई.ए.एल. राज्य सहायता करार के खंड 19.3 और 19.4 के अनुसार कर्नाटक सरकार या उसके नामितों को या रियायत करार के खंड 13.4 और 13.5 के अनुसार भारत सरकार या उसके नामितों को, जैसा भी मामला हो, कानूनी और लाभप्रद स्वामित्व स्थानांतरित करता है और विमानपत्तन का कब्जा सौंपता है।

“यू.एस.डी.” का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा से है।

1.2 निर्वचन: इस करार में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1.2.1 किसी अधिनियम या उसके किसी खंड, या उसकी अनुसूची, या अन्य प्रावधान के किसी भी संदर्भ का अर्थ, उस विशेष समय पर, उस समय लागू उसके किसी भी संशोधन, विस्तार या पुनः अधिनियमन और प्रासंगिक अधिनियम या प्रावधान के तहत या उससे वैधता प्राप्त करने वाले उस समय लागू सभी दस्तावेजों, आदेशों या नियमों के संदर्भ को शामिल करते हुए लगाया जाएगा;

- 1.2.2 “निर्णय” के संदर्भ में भारतीय क्षेत्राधिकार में कोई भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, अधिनिर्णय (अवार्ड) या अन्य न्यायिक या मध्यस्थता उपाय शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी है;
- 1.2.3 “कानून” के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी डिक्री, निर्णय, विधान, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, नियमन, उप-विधि, कानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशा-निर्देश, नियम, वैधानिक दस्तावेज या अन्य विधायी उपाय शामिल हैं, जिनका अनुपालन बी.आई.ए.एल. को कानून द्वारा करना आवश्यक है (और “कानूनी” और “गैर-कानूनी” का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा);
- 1.2.4 एकवचन के संदर्भों में बहुवचन के संदर्भ शामिल होंगे और इसके विपरीत भी लागू होगा;
- 1.2.5 “दिन” का अर्थ कैलेंडर दिवस है और “वर्ष” का अर्थ कैलेंडर वर्ष है;
- 1.2.6 किसी विशेष खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ, जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के या उसके खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ होंगे;
- 1.2.7 शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्वचन के प्रयोजनों के लिए उनकी उपेक्षा की जानी है;
- 1.2.8 इसके अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों के अर्थ, जब इस करार में अन्यत्र उपयोग किए जाते हैं, अनुसूचियों में दिए गए अर्थ ही होंगे;
- 1.2.9 इस करार की अनुसूचियाँ इस करार का हिस्सा बनती हैं और पूर्ण रूप से प्रभावी होंगी मानो उन्हें इस करार के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो;
- 1.2.10 किसी भी विवरण के किसी भी करार, विलेख, दस्तावेज, लाइसेंस, कोड या अन्य दस्तावेज के किसी भी संदर्भ का अर्थ, उस विशेष समय पर, उस करार, विलेख, दस्तावेज, लाइसेंस, कोड या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा जैसा कि उसे उस समय संशोधित, परिवर्तित, पूरित, रूपांतरित, निलंबित या नवीकृत किया गया हो;
- 1.2.11 “लिखित” और “लिखत में” शब्दों में फैक्स प्रेषण और प्रेषण की पुष्टि के साथ एक मूर्त और स्थायी रूप से दिखाई देने वाले रूप में कार्यों को पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन शामिल है;
- 1.2.12 “शामिल” और “जिसमें शामिल हैं” शब्दों का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाना है; और
- 1.2.13 खंडों और अनुसूचियों के बीच किसी भी संदिग्धता या विसंगति के मामले में, खंड ही सर्वोपरि होंगे।

2 प्रतिफल

इस करार में निर्धारित पारस्परिक करारों और उपक्रमों के प्रतिफल के रूप में, पक्षकारों ने आपस में इस करार में निर्धारित अधिकार प्रदान किए हैं और दायित्वों को स्वीकार किया है।

3 पूर्व शर्तें

- 3.1 **इक्विटी अंशदान के लिए पूर्व शर्तें:** खंड 4.3 में यथा उपबंधित को छोड़कर, अपना इक्विटी अंशदान करने का प्रत्येक पक्षकार का दायित्व निम्नलिखित पूर्व शर्तों की संतुष्टि या छूट के अधीन है, जो प्रत्येक मामले में पक्षकारों के लिए संतोषजनक रूप और विषय-वस्तु में हो:

- (i) इस करार के प्रभावी होने के कारण को छोड़कर, सभी परियोजना करारों का प्रभावी होना;
- (ii) विमानपत्तन के निर्माण की शुरुआत के लिए आवश्यक सरकारी अनुमोदनों की बी.आई.ए.एल. द्वारा प्राप्ति;
- (iii) [आशयपूर्वक खाली छोड़ा गया]
- (iv) राज्य प्रवर्तकों और निजी प्रवर्तकों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत प्रारूप और तरीके से बी.आई.ए.एल. के जापन और नियमावली में संशोधन; और
- (v) कंपनी में अपने निवेश के लिए निजी प्रवर्तकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो।

3.2 पूर्व शर्तों की संतुष्टि: प्रत्येक पक्षकार खंड 3.1 में निर्धारित पूर्व शर्तों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करेगा। उस दिशा में पक्षकार, पक्षकारों और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की अनुसूची पर सहमत हुए थे जैसा कि यहाँ अनुसूची 8 में दिया गया है। समय बीतने के साथ, पक्षकार पक्षकारों और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक पुनरीक्षित अनुसूची पर सहमत हुए हैं जैसा कि यहाँ अनुसूची 8A में दिया गया है। हालाँकि, यदि खंड 3.1 में संदर्भित शर्तें 30 जून 2005 तक पूरी नहीं होती हैं, तो यह करार समाप्त हो जाएगा, जब तक कि पक्षकारों ने परियोजना का पारस्परिक रूप से पुनरावलोकन न किया हो, जिसमें उसके वित्तीय पहलू शामिल हैं, और ऐसी शर्तों की संतुष्टि के लिए इस समय सीमा के विस्तार पर सहमति न दी हो।

4 विकास लागत

4.1 करार-पूर्व विकास लागत: पक्षकारों द्वारा वहन की गई करार-पूर्व विकास लागत, आवश्यक नियामक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, वित्तीय समापन के तीस (30) दिनों के भीतर कंपनी द्वारा पक्षकारों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक पक्षकार वित्तीय समापन के बाद पंद्रह (15) दिनों के भीतर अपने द्वारा वहन की गई ऐसी लागत का विवरण कंपनी को प्रदान करेगा।

4.2 राज्य प्रवर्तकों की करार-पूर्व विकास लागत: राज्य प्रवर्तकों की करार-पूर्व विकास लागत में दिनांक 20 मार्च 2000 के प्रस्ताव के अनुरोध में यथा निर्धारित बोली में असफल रहे बोलीदाता की बोली तैयारी लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वहन की गई लागत और व्यय शामिल हैं, जो अधिकतम 5,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये) के अधीन हैं।

4.3 वित्तीय समापन-पूर्व विकास लागत

(क) विकास बजट: कंपनी का बोर्ड समय-समय पर परियोजना के लिए वहन की जाने वाली विकास लागतों के लिए एक बजट ("विकास बजट") का अनुमोदन करेगा। ऐसे विकास बजट में किसी विशिष्ट अवधि के लिए परियोजना हेतु वहन किए जाने वाले प्रस्तावित मदवार व्यय शामिल होंगे। जिस सीमा तक कोई ऐसी लागत वहन की जाती है जो परियोजना के लिए वहन किया जाना आवश्यक है और जिन्हें विकास बजट द्वारा स्पष्ट रूप से परिकल्पित नहीं किया गया है, ऐसी लागत वहन करने वाला संबंधित प्रवर्तक कंपनी को उसका विवरण प्रदान करेगा और कंपनी का बोर्ड अगली संबंधित बोर्ड बैठक में वहन की गई लागतों का पुनरावलोकन करेगा तथा यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो विकास बजट को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। खंड 4.1 के प्रावधानों के बावजूद, पक्षकार विकास बजट के लिए निम्नलिखित अनुपात में निधि प्रदान करेंगे:

- | | | | |
|------|----------------|------------------------|----|
| (i) | निजी प्रवर्तक | चौहत्तर प्रतिशत (74%); | और |
| (ii) | राज्य प्रवर्तक | छब्बीस प्रतिशत (26%)। | |

- (ख) वित्तपोषण: पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि वित्तीय समापन और प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी के क्रय से पूर्व विकास लागतों का वित्तपोषण प्रवर्तकों द्वारा प्रदान किया जाना है।
- (ग) लागतों का भुगतान: परियोजना के लिए वहन की जाने वाली विकास लागतों को परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार सीधे कंपनी या प्रवर्तकों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (घ) लागतों की प्रतिपूर्ति: राज्य प्रवर्तकों, निजी प्रवर्तकों या उनकी संबंधित सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा परियोजना के संबंध में वहन की गई सभी वित्तीय समापन-पूर्व विकास लागतों की प्रतिपूर्ति, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी द्वारा वित्तीय समापन के दो महीने के भीतर संबंधित प्रवर्तक या सम्बद्ध संस्था को की जाएगी। प्रत्येक प्रवर्तक या संबंधित सम्बद्ध संस्था अपने द्वारा वहन की गई सभी वित्तीय समापन-पूर्व विकास लागतों का विवरण वित्तीय समापन के साठ (60) दिनों के भीतर कंपनी को प्रदान करेगी।

4.4 कुछ परिस्थितियों में निजी प्रवर्तकों को विकास लागत की प्रतिपूर्ति

यदि वित्तीय समापन से पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है:

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है;

(ख) शर्तें तय हो जाने के बाद कर्नाटक सरकार भूमि का पट्टा देने में विफल रहती है; या

(ग) शर्तें तय हो जाने के बाद कर्नाटक सरकार राज्य सहायता करार करने में विफल रहती है,

तो निजी प्रवर्तक इस करार को समाप्त कर सकते हैं और ऐसे समापन पर राज्य प्रवर्तक (क) निजी प्रवर्तकों को उनकी करार-पूर्व विकास लागतों की प्रतिपूर्ति करेंगे, जो 5,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अधिकतम सीमा के अधीन होगी; और (ख) इक्विटी के मद में अग्रिम दी गई राशियों की प्रतिपूर्ति करेंगे यदि उनके लिए शेयर जारी नहीं किए गए हैं या यदि खंड 4.3 के अनुसार निजी प्रवर्तकों को शेयर जारी किए गए हैं तो उन्हें उनके अंकित मूल्य पर अधिग्रहित करेंगे, जो 40,00,00,000/- रुपये (चालीस करोड़ रुपये) की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

4.5 कुछ परिस्थितियों में राज्य प्रवर्तकों को विकास लागत की प्रतिपूर्ति: यदि वित्तीय समापन से पूर्व किसी भी समय निजी प्रवर्तक परियोजना का परित्याग कर देते हैं, तो राज्य प्रवर्तक इस करार को समाप्त करने के हकदार होंगे और ऐसे समापन पर,

(क) खंड 10.4 में संदर्भित कार्यान्वयन गारंटी को भुनाया जाएगा और राशि के.एस.आई.आई.डी.सी. के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी; और

(ख) निजी प्रवर्तकों द्वारा धारित सभी शेयर, यदि कोई हों, 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) के कुल प्रतिफल पर राज्य प्रवर्तकों को (उनकी संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत के आनुपातिक रूप से) बेचे और स्थानांतरित माने जाएंगे; और

(ग) निजी प्रवर्तक यह सुनिश्चित करेंगे कि बी.आई.ए.एल. के पास परियोजना के प्रयोजनों के लिए बी.आई.ए.एल. की ओर से अस्तित्व में लाई गई सभी सामग्रियों, रेखाचित्रों और दस्तावेजों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का पूर्ण और भारमुक्त स्वामित्व होगा या उसके पास एक अपरिवर्तनीय, रॉयल्टी-मुक्त, गैर-अनन्य और हस्तांतरणीय लाइसेंस होगा, जिसमें उप-लाइसेंस प्रदान करने तथा परियोजना से जुड़े किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे सभी रेखाचित्रों, सामग्रियों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने, पुनरुत्पादन करने, संशोधित करने, अनुवाद करने और उपयोग करने का अधिकार शामिल होगा; और

(घ) निजी प्रवर्तक इसके खंड 4.1 और 4.3 के अनुसार वहन की गई किसी भी लागत की प्रतिपूर्ति बी.आई.ए.एल. से मांगने के हकदार नहीं होंगे।

5 कंपनी का व्यवसाय

कंपनी का मुख्य व्यवसाय और गतिविधि, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, विमानपत्तन का प्रवर्धन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण और परिचालन होगा, जिसमें इसके कुशल और लाभदायक परिचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य गतिविधि भी शामिल है।

6 पक्षकारों की भूमिका

6.1 परियोजना का शीघ्रता से समापन: पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

6.2 निजी प्रवर्तकों की भूमिका: निजी प्रवर्तक कंपनी के परिचालन के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रबंधन का कार्य संभालेंगे ताकि निजी प्रवर्तकों का अनुभव और विशेषज्ञता कंपनी को निरंतर आधार पर उपलब्ध होती रहे:

- (क) एक व्यापक मास्टर प्लान की तैयारी;
- (ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना तथा मास्टर प्लान के अनुसार परियोजना की अभिकल्पना एवं ब्यौरा तैयार करना;
- (ग) ऋण और इक्विटी जुटाने सहित परियोजना के लिए वित्तीय समापन;
- (घ) परियोजना शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करना;
- (ङ) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण तथा परिचालन एवं रखरखाव के संबंध में परियोजना करारों को देना;
- (च) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों के निर्माण को पूरा करना;
- (छ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 'संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम' का कार्यान्वयन;
- (ज) परियोजना के निर्माण और परिचालन चरणों के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन;
- (झ) परियोजना करारों के अनुसार सभी मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और उपकरणों की स्थापना, परीक्षण और चालू (कमीशन) करने का कार्य पूरा करना;
- (ञ) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों के अनुसार तथा भारत के नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए अपेक्षित मानकों के अनुसार इसके उपयोगकर्ताओं को सेवा के आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से विमानपत्तन का परिचालन और रखरखाव;

- (ट) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को बनाए रखने या सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से विमानपत्तन और सुविधाओं का उन्नयन;
- (ठ) यातायात उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए एक वाणिज्यिक और कार्गो हब के रूप में विमानपत्तन का विपणन, प्रवर्धन और ब्रांड निर्माण, जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित है; और
- (ड) विमानपत्तन और आनुषंगिक सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं (एयरलाइंस, यात्रियों, आगंतुकों और अन्य) से राजस्व, शुल्क, प्रभारों का संग्रह, विनियोजन और आवंटन तथा/या अन्य गतिविधियां जिन्हें एकत्र करने का अधिकार कंपनी को है।

6.3 करार की भावना और आशय: प्रत्येक पक्षकार कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में इसके तहत अपने अधिकारों के प्रयोग और अपने दायित्वों के निर्वहन में एक-दूसरे के प्रति तर्कसंगत और सद्भावपूर्वक कार्य करने का वचन देता है।

7 कंपनी की शेयर पूंजी

7.1 अधिकृत शेयर पूंजी: कंपनी की मूल अधिकृत शेयर पूंजी केवल 50,00,00,000/- रुपये (पचास करोड़ रुपये) थी, जो 10/- रुपये (दस रुपये) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 350,00,00,000/- रुपये (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) कर दिया गया है।

7.2 निर्गमित, क्रय की गई और चुकता पूंजी

(क) निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी: 23 जनवरी 2002 को कंपनी की चुकता पूंजी 5,00,000 रुपये (केवल पांच लाख रुपये) थी, जो 10/- रुपये प्रत्येक के 50,000 (पचास हजार) शेयरों में विभाजित थी और जिसका विवरण इस प्रकार है:

नाम	शेयरों की संख्या	नाम मात्र धनराशि (रुपये)
श्री एन.आर. नारायण मूर्ति:	1	10/-
श्री राजीव चंद्रशेखर:	1	10/-
श्री बी.के. दास (कर्नाटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नामित):	49,994	499,940/-
श्री सी.के. नीलकंठ राज:	1	10/-
श्री आर.एन. चौहान:	1	10/-

श्री जी.एल. जेरे:	1	10/-
श्री चेरियन थॉमस:	1	10/-
कुल:	50,000	5,00,000/-

(ख) **वर्तमान शेयरों का स्थानांतरण:** खंड 7.2(क) में संदर्भित शेयर अन्य पक्षकारों द्वारा पहले इक्विटी अंशदान के समय के.एस.आई.आई.डी.सी. (या उनके नामितों) को स्थानांतरित किए जाएंगे। यह सहमति व्यक्त की जाती है कि किसी भी समय कंपनी के पास कम से कम सात (7) शेयरधारक होंगे। ये पक्षकारों के अलावा, अधिनियम के तहत के.एस.आई.आई.डी.सी. की ओर से शेयर धारण करने वाले नामित होंगे।

7.3 **शेयरधारिता और पूंजी संरचना:** इस करार के अनुसार शेयरों के क्रय पर, कंपनी की चुकता पूंजी संरचना इस प्रकार होगी:

पक्षकारगण	कंपनी की निर्गत और चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत
निजी प्रवर्तक और अन्य निवेशक (सामूहिक रूप से):	74%
राज्य प्रवर्तक (सामूहिक रूप से):	26%
कुल	100%

7.4 अन्य निवेशक: निजी प्रवर्तकों की इक्विटी प्रतिबद्धता अनुसूची 3 में दिए अनुसार तय की गई थी। आगे के विस्तृत विश्लेषण, लागतों के अनुकूलन और समय बीतने के बाद, निजी प्रवर्तक अनुसूची 3ए में दिए अनुसार पुनरीक्षित इक्विटी प्रतिबद्धता के अनुसार शेयरों में निवेश करने के लिए सहमत हुए हैं। खंड 7.7 (iii) के प्रावधानों के अधीन, जो निजी प्रवर्तकों द्वारा धारित किए जाने वाले शेयरों का उपबंध करता है, वे निजी प्रवर्तकों से शेयरों के क्रय या खरीद के माध्यम से शेयर धारण करने के लिए अन्य निवेशकों को शामिल कर सकते हैं।

(क) राज्य प्रमोटर द्वारा लिखित में अनुमोदित किया गया है (जिस अनुमोदन को अकारण रोका व विलंबित नहीं किया जाएगा); और

(ख) अनुसूची ग के रूप में एक समर्थन विलेख निष्पादित की गई है।

7.5 इक्विटी अंशदान:पक्षकार अपनी-अपनी इक्विटी प्रतिबद्धताओं तक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशियों में और अपने-अपने इक्विटी प्रतिशत में अपने-अपने इक्विटी अंशदान करने के लिए सहमत हुए थे।

7.6 पुनरीक्षित इक्विटी अंशदान

- (i) नीचे (ii) के अधीन, वित्तीय समापन पर, राज्य प्रवर्तक कंपनी और निजी प्रवर्तकों को उनके संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत की सूचना देंगे, जो संचयी रूप से छब्बीस प्रतिशत (26%) होगा। प्रत्येक राज्य प्रमोटर कंपनी की शेयर पूंजी की सदस्यता लेगा ताकि ऐसे राज्य प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों की संख्या ऊपर अधिसूचित जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक न हो। इस घटना में, बोर्ड द्वारा बनाई गई पूंजी सी के अनुसार, कोई भी राज्य प्रवर्तक इक्विटी योगदान करने में विफल रहता है ("डिफॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर"), डिफॉल्ट में नहीं होने वाला राज्य प्रवर्तक ("अन्य राज्य प्रवर्तक") इक्विटी योगदान राज्य प्रवर्तक को निधि देने का हकदार होगा। इस समझौते के अन्य प्रावधानों के डिफॉल्ट के पूर्वाग्रह के बिना, इस घटना में कि अन्य राज्य प्रवर्तक 'डिफॉल्टिंग राज्य प्रवर्तक' के इक्विटी योगदान का वित्तपोषण नहीं करता है, निजी प्रवर्तक (ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना) ऐसे इक्विटी योगदान का वित्तपोषण कर सकते हैं।
- (ii) एएआई इक्विटी कैप के अधीन, राज्य प्रवर्तकों की संयुक्त शेयरधारिता कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं होगी और केएसआईआईडीसी, या उसके सहयोगियों, को छब्बीस प्रतिशत (26%) की संयुक्त शेयरधारिता बनाए रखने के लिए ऐसी अतिरिक्त राशि का योगदान करना होगा यदि एएएल इक्विटी

7.7 राज्य प्रवर्तकों द्वारा क्रय

- (i) नीचे (ii) के अधीन, वित्तीय समापन पर, राज्य प्रवर्तक कंपनी और निजी प्रवर्तकों को शेयरधारिता के अपने-अपने व्यक्तिगत प्रतिशत को अधिसूचित करेंगे, जो संचयी रूप से छब्बीस प्रतिशत (26%) होगा।
- (ii) वित्तीय समापन पर, निजी प्रवर्तक कंपनी और राज्य प्रवर्तकों को निजी प्रवर्तकों और अन्य निवेशकों की शेयरधारिता के व्यक्तिगत प्रतिशत को अधिसूचित करेंगे, जो संचयी रूप से चौहत्तर प्रतिशत (74%) होगा, जो नीचे (iii) के लिए प्रतिकूल नहीं होगा प्रत्येक निजी प्रमोटर कंपनी की प्रदत्त पूंजी के लिए अन्य निवेशकों द्वारा सदस्यता लेगा या सदस्यता का कारण बनेगा, यदि कोई हो, ताकि धारित शेयरों की संख्या ऊपर अधिसूचित जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक न हो इस घटना में, बोर्ड द्वारा की गई पूंजी कॉल के अनुसार, कोई भी निजी प्रमोटर इक्विटी योगदान करने में विफल रहता है ("डिफॉल्टिंग प्राइवेट प्रमोटर") डिफॉल्ट में नहीं होने वाले निजी प्रमोटर ("अन्य निजी प्रमोटर") डिफॉल्टिंग प्राइवेट प्रमोटर के इक्विटी योगदान को खोजने के हकदार होंगे। इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस घटना में कि अन्य निजी प्रवर्तक डिफॉल्ट निजी प्रवर्तक के इक्विटी

योगदान का वित्तपोषण नहीं करते हैं, राज्य प्रवर्तक (ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना) ऐसे इक्विटी योगदान का वित्तपोषण कर सकते हैं,

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस करार के अनुसार शेयरों के अभिदत्त किए जाने पर, निजी प्रमोटरों की शेयरधारिता निम्नानुसार निर्धारित ("लॉक-इन पीरियड") निम्नलिखित लॉक-इन सीमाओं के अध्यक्षीन होगी।

(क) सीमेंस वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद तीन (3) वर्ष की अवधि तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी का कम से कम चालीस प्रतिशत (40%) और वाणिज्यिक परिचालन के बाद सात (7) वर्ष की अवधि के लिए छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं शेयर धारण करेगा

(ख) यूनीक ज्यूरिख (3) वर्षों में कम से कम पांच प्रतिशत (5%) शेयरों की सदस्यता लेगा और कंपनी की चुकता पूंजी में तीन वाणिज्यिक परिचालन तिथि की अवधि तक रखेगा।

7.8 शेयरों के लिए भुगतान: निजी प्रवर्तक और राज्य प्रवर्तक अपने द्वारा क्रय किए जाने के लिए सहमत शेयरों के लिए भारत में कंपनी द्वारा नामित बैंकों में सममूल्य पर नकद राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

7.9 शेयरों पर भुगतान सुरक्षित करना: निजी प्रवर्तकों द्वारा शेयरों के लिए देय नकद भुगतान सुरक्षित करने हेतु, प्रत्येक निजी प्रवर्तक वित्तीय समापन से पूर्व प्रतिष्ठित बैंक से बिना शर्त और अपरिवर्तनीय पत्र जारी कराएगा।

7.10 परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता: राज्य प्रवर्तक और निजी प्रवर्तक कंपनी और परियोजना में अपनी सहभागिता को वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त करने और परियोजना को निरंतर स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास में एक दीर्घकालिक व्यवस्था मानते हैं।

8 वित्त

8.1 गारंटीकृत अधिकतम मूल्य: पक्षकार 1 अनुसूची 5 में निर्धारित अधिकतम गारंटीकृत मूल्य पर सहमत हुए। गारंटीकृत अधिकतम मूल्य के प्रयोजनों के लिए Rs 50/- (पचास रुपये) के बराबर अमेरिकी डॉलर (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर वन) की विनिमय दर मानी गई है। आगे के विस्तृत विश्लेषण, लागत के अनुकूलन और समय बीतने के बाद, पार्टियां 'सहमत हुई हैं कि वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत अनुसूची 5क में निर्धारित की गई है।

8.2 लागत वृद्धि: बीपीसी और उनके निर्माण और उपकरण आपूर्ति अनुबंध जो कंपनी द्वारा किए जाने हैं, आम तौर पर एकमुश्त, निश्चित मूल्य, 'समयबद्ध और टर्न-की आधार पर संरचित होते हैं। यह सहमति है कि उपरोक्त अनुबंध 50 संरचित होंगे, जो कि विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे कि फोर्स मेज्योर

(जैसा कि [ईपीसी अनुबंधों] में परिभाषित किया गया है, किसी भी ऐसे अनुबंध के तहत कोई भी लागत वृद्धि, अतिप्रवाह या बकाया केवल ठेकेदार की राशि के लिए होगा।

- 8.3 नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग: पक्षकारों का आशय है कि परियोजना का वित्तपोषण नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आधार पर किया जाएगा।

9 कंपनी का प्रबंधन

9.1 निदेशक मंडल

- (i) कंपनी का बोर्ड कंपनी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, परियोजना के विकास और प्रबंधन और कंपनी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अधिकार होगा। बोर्ड का स्टॉल एक विधिवत 'बुलाई गई बैठक' में और जिसमें गणपूर्ति मौजूद है, बोर्ड के संकल्प द्वारा, अधिनियम के तहत बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार, शक्तियों और विवेक का प्रयोग करने में सक्षम होगा; हालाँकि, नीचे खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, प्रत्येक राज्य प्रमोटरों और प्रत्येक निजी प्रमोटरों की सकारात्मक लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।

- (ii) बोर्ड में शुरू में बारह (12) निदेशक होंगे। 'निजी प्रमोटरों को आठ (8) सेवानिवृत्त निदेशकों को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा ("निजी प्रमोटर" निदेशक)", एएआई को दो (2) गैर-सेवानिवृत्त निदेशकों को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा और केएसआईआईडीसी को दो (2) गैर-सेवानिवृत्त निदेशकों (सामूहिक रूप से "राज्य प्रमोटरों के निदेशक" कहा जाता है) को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि निदेशकों की संख्या 10 चौदह (4) तक बढ़ाई जाएगी, जो अधिनियम की धारा 259 द्वारा आवश्यक केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद होगी और ऐसे दो अतिरिक्त निदेशकों को नियुक्त किया जाएगा और निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा: केएसआईआईडीसी एक सेवानिवृत्त निदेशक और निजी प्रमोटर: एक सेवानिवृत्त निदेशक। पक्षकारों द्वारा किसी भी प्रकार की और वृद्धि को आपस में सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

यदि स्टेट प्रमोटरों का इक्विटी होल्डिंग छब्बीस (26%) प्रतिशत से कम हो जाता है तो निदेशकों को नामित करने की पात्रता निम्नानुसार होगी:

शेयरधारिता प्रतिशत

निदेशकों की संख्या

0 से अधिक - 10% से नीचे

दो

10-20% से नीचे

तीन

20-26% नीचे

चार

यदि निजी प्रमोटर और अन्य निवेशक मिलकर चौहतर (74%) से कम प्रतिशत बनाते हैं तो निदेशक को नामित करने की पात्रता निम्नानुसार होगी:

शेयरधारिता प्रतिशत	निदेशकों की संख्या
0 से अधिक - 10% से नीचे	एक
10- 20% से नीचे	दो
20-30% नीचे	चार
30-40% नीचे	पांच
40-50% नीचे	छह
50%	सात
50% अधिक - 74% से नीचे	आठ

यदि निजी प्रवर्तकों और अन्य निवेशकों का बोर्ड में निदेशकों को नामित करने का अधिकार उपरोक्तानुसार कम होता है, तो राज्य प्रवर्तकों को इस प्रकार की कमी से बोर्ड में उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा।

- (iii) निजी प्रवर्तक, यथास्थिति, कंपनी के प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन और नामांकन करने के हकदार होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी के दैनिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि उपरोक्तानुसार नियुक्ति किसी प्रबंध निदेशक के रूप में की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति इसके खंड 9.1 के तहत नामित निजी प्रवर्तकों के निदेशकों में से होगा।
- (iv) राज्य प्रवर्तक अपने नामित निदेशकों में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष नामित करने के हकदार होंगे। राज्य प्रवर्तकों द्वारा इस प्रकार नामित व्यक्ति को बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक नहीं होंगे और उनके पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी। न तो अध्यक्ष और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो किसी सामान्य बैठक या बोर्ड या उसकी किसी उप-समिति की बैठक की

अध्यक्षता करता है, के पास द्वितीय या निर्णय मत होगा। यदि अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हैं, तो उपस्थित निदेशक बोर्ड बैठक के उद्देश्य के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष) नियुक्त कर सकते हैं।

- (v) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी निदेशक (एक "मूल निदेशक") मूल निदेशक के स्थान पर और उसके लिए कार्य करने हेतु किसी अन्य निदेशक (एक "वैकल्पिक निदेशक") को नियुक्त करने का हकदार होगा। वैकल्पिक निदेशक मूल निदेशक के स्थान पर सभी बैठकों की सूचना प्राप्त करने, ऐसी बैठकों में भाग लेने व मतदान करने और सामान्यतः उनकी अनुपस्थिति में मूल निदेशक के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए हकदार होगा।
- (vi) प्रत्येक पक्षकार निदेशकों की नियुक्ति और/या हटाने तथा प्रतिस्थापन के संबंध में इस खंड के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए प्रत्येक नामांकन को त्वरित प्रभाव देने के लिए (साधारण बैठकों में अपने वोटों के प्रयोग सहित) अपने पास उपलब्ध सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (vii) निदेशक बैठने के शुल्क के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वे बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों द्वारा किए गए सभी उचित वास्तविक लागतों और व्ययों, जैसे यात्रा, आवास, भोजन और ऐसे अन्य उचित आनुषंगिक व्ययों की प्रतिपूर्तियों के हकदार होंगे, जब तक कि पक्षकारों द्वारा साधारण बैठक में अन्यथा सहमति न दी गई हो।
- (viii) पक्षकार सहमत हैं कि इसके निष्पादन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर खंड 9.1 (ii) के अनुसार बोर्ड का गठन किया जाएगा।

9.2 बोर्ड की बैठकें:

प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा कि निदेशक बोर्ड की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित नियमों को अपनाएं:

- (i) बोर्ड की बैठकें कम से कम प्रत्येक तीन (3) महीने में एक बार या बोर्ड के बहुमत द्वारा यथा स्वीकृत अधिक बार आयोजित की जाएं;
- (ii) जब तक कि सभी निदेशकों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, प्रत्येक बैठक की समय और स्थान को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक निदेशक को उसके पते पर चौदह (14) दिनों का लिखित नोटिस दिया जाएगा, जिसमें बैठक की कार्यसूची (agenda) का पर्याप्त विवरण दिया जाएगा तथा बैठक में चर्चा किए जाने वाले संबंधित कागजात और चर्चा किए जाने वाले मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा और जानकारी संलग्न की जाएगी;
- (iii) ऊपर (ii) में निर्धारित लिखित नोटिस प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, कोई निदेशक कंपनी को लिखित नोटिस देकर, कार्यसूची में किसी अन्य मामले को शामिल करने या कार्यसूची में किसी बदलाव का अनुरोध कर सकता है और कंपनी निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों के अनुरूप

यथा-संशोधित कार्यसूची को बैठक की तारीख से कम से कम सात (7) दिन पहले परिचालित (circulate) करेगी;

- (iv) किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति (quorum) में निजी प्रवर्तकों के निदेशकों में से कम से कम तीन (3) निदेशक और राज्य प्रवर्तकों के निदेशकों में से दो (2) निदेशक शामिल होंगे;
- (v) यदि ऊपर (iv) में यथा-प्रावधानित गणपूर्ति (quorum) बैठक के लिए निर्धारित समय के एक घंटे के भीतर उपस्थित नहीं होती है, तो किसी भी निदेशक के अनुरोध पर बैठक पहली बैठक के दो (2) दिनों से पहले नहीं बल्कि चौदह (14) दिनों के बाद स्थगित (adjourned) मानी जाएगी। ऐसी दूसरी बैठक में, निदेशकों का एक-तिहाई...
- (iv) राज्य प्रवर्तक अपने नामित निदेशकों में से एक को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामांकित करने के हकदार होंगे।
- (v) कोई भी निदेशक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य निदेशक को अपने स्थान पर कार्य करने के लिए वैकल्पिक निदेशक नियुक्त कर सकता है।
- (vi) प्रत्येक निदेशक एक वोट डाल सकता है;
- (vii) बोर्ड के निर्णय विधिवत बुलाई गई बैठक में साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे जिसमें कोरम उपस्थित हो, बशर्ते कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, प्रत्येक निजी प्रवर्तक और प्रत्येक राज्य प्रवर्तक की लिखित सहमति आवश्यक होगी;
- (viii) सचिव बोर्ड की प्रत्येक बैठक की तारीख के दस (10) दिनों के भीतर सभी निदेशकों (उस बैठक में उपस्थित वैकल्पिक निदेशक सहित) को कार्यवृत्त का प्रारूप प्रसारित करेगा। उस बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक (या वैकल्पिक निदेशक), कार्यवृत्त के प्रारूप की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर, ऐसे कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन या टिप्पणियाँ सचिव को प्रेषित कर सकता है, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उसने ऐसे कार्यवृत्त को अनुमोदित कर दिया है। कार्यवृत्त पर अगली बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें उपर्युक्त तरीके से किसी भी निदेशक द्वारा सचिव को प्रेषित आपत्तियों या असहमति को शामिल किया जाएगा; और
- (ix) उपरोक्तानुसार विधिवत गठित बैठक के स्थान पर और अधिनियम की धारा 292 के अधीन, बोर्ड के किसी भी प्रस्ताव को विधिवत पारित माना जाएगा यदि प्रस्ताव आवश्यक डेटा और जानकारी के साथ सभी निदेशकों को लिखित रूप में प्रसारित किया गया है, और निदेशकों की आवश्यक बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है; बशर्ते कि खंड 9.4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में, प्रत्येक निजी प्रवर्तक और प्रत्येक राज्य प्रवर्तक की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

9.3 बोर्ड समितियाँ: बोर्ड ऐसी समितियों को नियुक्त कर सकता है और ऐसी शक्तियाँ सौंप सकता है जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए। ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक (1) राज्य प्रवर्तक निदेशक

नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड ऐसी समितियों के कामकाज के संबंध में नियम बना सकता है। समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे, इसके अलावा कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

9.4 निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों की सहमति की आवश्यकता वाले मामले: कंपनी निम्नलिखित मामलों के संबंध में तब तक कोई निर्णय नहीं लेगी या कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों की लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो:

(क) तरलता प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) की कुल सीमा से अधिक उधार लेना, ऋण लेना या कोई देनदारी वहन करना (ऐसे खाते पर उस समय मौजूद किसी भी देनदारी के साथ)। बशर्ते कि पूर्वोक्त अनुसार सहमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी:

(i) प्रारंभिक चरण के लिए वित्तपोषण करारों के अनुसार उधार लेना;

(ii) व्यवसाय के सामान्य और साधारण क्रम में कोई गारंटी, क्षतिपूर्ति, निष्पादन बांड देना या कोई समान आकस्मिक देनदारी वहन करना;

(iii) खंड 9.8 में निर्धारित सीमा तक और उसके प्रयोजनों के लिए उधार लेना।

(ख) गैर-विमानपतन गतिविधियों (जैसा कि राज्य सहायता करार में परिभाषित है) को शुरू करने के प्रयोजनों के लिए उधार लेना, ऋण लेना या कोई देनदारी वहन करना;

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10,00,00,000/- रुपये (दस करोड़ रुपये) की कुल राशि से अधिक के वित्तीय प्रभाव वाले कंपनी के उपक्रम या परिसंपत्तियों का निपटान करना;

(घ) खंड 9.7 में यथा उपबंधित के अलावा, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन और आगे की पूंजी जारी करना;

(ङ) परियोजना करारों का अनुमोदन;

(च) कंपनी के व्यवसाय का व्यापक विस्तार या कमी करना;

(छ) कंपनी के शेयरों या प्रतिभूतियों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या सूचीबद्धता और उसकी शर्तें;

(ज) कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन या ज्ञापन और/या नियमावली में कोई परिवर्तन या कंपनी के नाम या पंजीकृत कार्यालय में कोई परिवर्तन;

(झ) कंपनी का कोई समापन, परिसमापन या विघटन या कंपनी द्वारा शेयरों की वापसी खरीद या कंपनी की शेयर पूंजी में कोई कमी;

(ज) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिए गए उपबंधों के अलावा भूमि का कोई अन्य उपयोग;

(ट) किसी अन्य कंपनी, साझेदारी या व्यवसाय में कोई हित प्राप्त करने या बेचने, या एक संयुक्त उद्यम या रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने का कोई प्रस्ताव;

(ठ) कंपनी द्वारा कोई ऋण प्रदान करना (अग्रिम भुगतान, नब्बे (90) दिनों तक की अवधि के लिए व्यापार क्रेडिट और प्राप्त खातों के अलावा); और

(ड) इस करार के अनुसार के अलावा शेयरों का कोई भी स्थानांतरण।

पक्षकार अपनी-अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और बोर्ड में नामित निदेशकों के माध्यम से कंपनी से ऊपर खंड 9.4 के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिए मतदान करेंगे।

9.5 शेयरधारकों की बैठकें और प्रस्ताव:

- (i) किसी भी सामान्य बैठक में कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक में कोरम उपस्थित न हो। कोरम निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों में से प्रत्येक का एक (1) प्रतिनिधि होगा। यदि बैठक के निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक किसी भी निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक के अनुरोध पर पहली बैठक के बाद तीन (3) दिनों से पहले नहीं बल्कि चौदह (14) दिनों के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित हो जाएगी और यदि ऐसी पुनर्गठित बैठक में कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी बैठक में उपस्थित शेयरधारक आवश्यक कोरम का गठन करेंगे।
- (ii) लागू कानून के अधीन, शेयरधारकों के सभी प्रस्ताव शेयरधारकों की किसी भी बैठक में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
- (iii) बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की सभी सामान्य बैठकों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

9.6 स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति और स्थानीय कर्मियों का प्रशिक्षण:

- (क) **स्थानीय कर्मियों का प्रशिक्षण:** निजी प्रवर्तक प्रतिभा विकसित करने और विमानपतन के संचालन को शुरू करने के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण करने हेतु उपयुक्त स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे।
- (ख) **स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति:** पक्षकार व्यावहारिक और साध्य सीमा तक स्थानीय स्रोतों से सेवाओं और सामग्रियों की कंपनी द्वारा खरीद को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, विशेष रूप से अनुसूची 5 के पैराग्राफ 4(c) और 5 में परिकल्पित लागत बचत प्राप्त करने के लिए।

9.7 वे परिस्थितियाँ जिनमें साधारण बहुमत द्वारा अतिरिक्त पूंजी जुटाई जा सकती है:

- (i) उस असंभावित स्थिति में जब कंपनी को परिचालन हानि होती है, जिसकी निधि का प्रावधान व्यावसायिक योजना में नहीं किया गया है, बोर्ड वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है जिनका कंपनी अनुसरण कर सकती है। पक्षकारों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले आंतरिक संचय के माध्यम से और उसके बाद उधार के माध्यम से होगा। हालाँकि, यदि अपर्याप्त आंतरिक संचय है या उचित शर्तों पर उधार उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड साधारण बहुमत से अधिकारों के निर्गम के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी जारी करने का अनुमोदन कर सकता है, जो अनकवर्ड परिचालन हानियों को वित्तपोषित करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।
- (ii) यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद कानून में कोई परिवर्तन (जिसमें वैधानिक बल रखने वाले अधिनियमन, विधान नियमन, नियम, अधिसूचना, आदेश या निर्देश में कोई परिवर्तन शामिल है) के लिए परियोजना के दायरे में बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पूंजीगत व्यय होता है, जिसका वित्तपोषण आकस्मिकताओं में या अन्यथा व्यावसायिक योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है जिसका कंपनी अनुसरण कर सकती है। पक्षकारों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले उधार के माध्यम से होगा। हालाँकि, यदि उचित शर्तों पर उधार उपलब्ध न हो, तो बोर्ड साधारण बहुमत से अधिकारों के निर्गम के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी जारी करने को मंजूरी दे सकता है, जो ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।

9.8 अप्रत्याशित घटनाएं:

(क) यदि निजी प्रवर्तकों के तर्कसंगत नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना वित्तीय या अन्यथा प्रभावित होती है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- (i) पक्षकार ऐसे जोखिम या लागतों को कम करने की कार्ययोजना तथा आवश्यक वित्तपोषण के तरीके, यदि कोई हो, पर एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।
- (ii) ऐसी स्थिति में बोर्ड कंपनी द्वारा अपनाए जा सकने वाले वित्तपोषण के संभावित तरीके पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है।
- (iii) वित्तपोषण के तरीके पर पक्षकारों के बीच सहमति लंबित रहने तक, यदि ऐसा करना समीचीन हो, तो बोर्ड उपर्युक्त घटना के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) की कुल सीमा (इस खंड 9.8 के प्रयोजन के लिए प्राप्त किसी भी मौजूदा ऋण के साथ) के अधीन ऐसी शर्तों पर उधार या ऋण ले सकता है जिन्हें उपयुक्त समझा जाए। पक्षकार सहमत हैं कि ऐसे वित्तपोषण के लिए निजी प्रवर्तक असुरक्षित अधीनस्थ ऋण प्रदान कर सकते हैं।

(iv) यदि पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं कि किसी भी उधार के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, ऐसा वित्तपोषण या उसका कोई हिस्सा पक्षकारों द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से होना चाहिए, तो निजी प्रवर्तकों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधीनस्थ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों और लागतों को, जहाँ तक संभव हो, संबंधित तीसरे पक्षकारों द्वारा वहन कराया जाएगा और/या उनके विरुद्ध उपयुक्त बीमा कराया जाएगा, ताकि ऐसे जोखिमों और लागतों के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध हो सके।

9.9 निगमित शासन एवं सर्वोत्तम प्रथाएं

(क) पक्षकार स्वीकार करते हैं कि विमानपतन एक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करेगा और संभावित रूप से अल्पकालिक समय में, एक विनियमित माहौल में काम करेगा। इसलिए, पक्षकार कंपनी को इस तरह से संचालित करवाएंगे, जिससे दक्षता और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो।

(ख) पक्षकार यह सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि कंपनी के व्यावसायिक मामलों और परिचालनों को निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस), जवाबदेही, पारदर्शिता और सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित किया जाए, जिसमें पक्षकारों / उनकी संबंधित सम्बद्ध संस्थाओं के साथ इसके सभी लेन-देन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बोर्ड कार्यों, वस्तुओं, सामग्रियों और सेवाओं की खरीद के लिए उपयुक्त नीतियां स्थापित करेगा, जिसमें अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुरूप बोलियां आमंत्रित करने की आवश्यकता भी शामिल है।

10 परियोजना का कार्यान्वयन

10.1 **परियोजना करार:** पक्षकार स्वीकार करते हैं कि परियोजना करारों को बोर्ड द्वारा चुने गए पक्षकारों के साथ निष्पादित किया जाना है। यह स्वीकार किया जाता है कि निजी प्रवर्तकों का चयन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर किया गया है कि निजी प्रवर्तकों के पास परियोजना के विभिन्न घटकों को संभालने का अनुभव है। परिणामस्वरूप, यह आगे स्वीकार किया जाता है कि निजी प्रवर्तकों की यह अपेक्षा है कि वे और/या उनकी सम्बद्ध संस्थाएं परियोजना के कुछ घटकों के लिए कंपनी के साथ परियोजना करारों में प्रवेश करेंगी।

10.2 **कार्यान्वयन:** चूंकि निजी प्रवर्तकों के पास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता है, इसलिए कंपनी सीमेंस ए.जी. और/या सीमेंस इंडिया लिमिटेड (जिसे इस खंड के प्रयोजन के लिए सीमेंस की सम्बद्ध संस्था माना जाता है), यूनिक ज्यूरिख और एल एंड टी के साथ उपयुक्त परियोजना करारों में प्रवेश करेगी। तदनुसार, निजी प्रवर्तक उपर्युक्त शर्तों के तहत उपर्युक्त संबंधित परियोजना करारों के उनमें से प्रत्येक या संबंधित सम्बद्ध संस्था द्वारा उचित निष्पादन के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित करने का वचन देते हैं।

- 10.3 भविष्य में भागीदारी का अधिकार:** यह स्वीकार किया जाता है कि कंपनी, यदि उसके बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी प्रस्तावित विस्तार से संबंधित किसी भी अनुबंध को देने की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निजी प्रवर्तक को आमंत्रित कर सकती है, बशर्ते उस समय ऐसा निजी प्रवर्तक ऐसे अनुबंध से संबंधित व्यवसाय में लगा हुआ हो। किसी भी निजी प्रवर्तक को कोई भी अनुबंध देने का कोई भी निर्णय हमेशा खंड 9.9 और 11.1 में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति के अधीन होगा।
- 10.4 मौलिक सिद्धांत:** पक्षकार सहमत हैं कि उपर्युक्त परियोजना करारों में प्रवेश करना इसके बाद खंड 11.1 में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति के अधीन होगा।
- 10.5 निष्पादन गारंटी:** निजी प्रवर्तकों ने के.एस.आई.आई.डी.सी. के पक्ष में पक्षकारों के बीच सहमत प्रारूप में निष्पादन गारंटी प्रदान की है। ऐसी निष्पादन गारंटी को वाणिज्यिक परिचालन तिथि तक प्रभावी, वैध और विधिवत नवीकृत रखा जाएगा।

11 सम्बद्ध पक्षकार लेन-देन

11.1 सम्बद्ध पक्षकार लेन-देन:

- (क) यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि निजी प्रवर्तकों या उनकी सम्बद्ध संस्थाओं और कंपनी के किसी भी घटक के बीच कोई भी लेन-देन, चाहे वह परियोजना करारों में परिलक्षित हो या अन्यथा, स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर होगा।
- (ख) परियोजना करारों के लिए निजी प्रवर्तकों और उनकी सम्बद्ध संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में, बोर्ड उनका मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता इंजीनियर नियुक्त करेगा। ऐसे परियोजना करार (i) बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगे; और (ii) ऐसे अनुबंधों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची 7 में उल्लिखित खरीद दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

11.2 हित-संघर्ष:

- (क) किसी पक्षकार का कोई भी नामित निदेशक ऐसे पक्षकार या उसकी सम्बद्ध संस्था से संबंधित किसी भी मामले में हितबद्ध माना जाएगा जिस पर बोर्ड द्वारा चर्चा या निर्धारण किया जाना है।
- (ख) ऐसा हितबद्ध निदेशक उसके संबंध में बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में न तो भाग लेगा और न ही उस पर मतदान करेगा।

12 शेयरों का स्थानांतरण

- 12.1 छूट:** इस खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा कंपनी में कोई भी शेयर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

12.2 [आशयपूर्वक खाली छोड़ा गया]

12.3 अनुमति प्राप्त स्थानांतरण:

- (क) राज्य प्रवर्तक आपस में शेयर स्थानांतरित कर सकते हैं।
- (ख) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रवर्तक आपस में शेयर स्थानांतरित कर सकते हैं।
- (ग) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों में से किसी को भी किसी भी समय अपने द्वारा धारित शेयरों में से कोई भी शेयर अपनी किसी एक या अधिक सम्बद्ध संस्थाओं को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा जो अंतरणकर्ता के दायित्वों को उठाने में सक्षम हो। राज्य प्रवर्तकों को किसी भी समय अपने द्वारा धारित शेयरों में से कोई भी शेयर अपनी किसी एक या अधिक सम्बद्ध संस्थाओं (जिसमें इस खंड के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और कोई भी संस्था शामिल होगी जो पूरी तरह से भारत सरकार या कर्नाटक सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है) को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा जो अंतरणकर्ता के दायित्वों को उठाने में सक्षम हो। बशर्ते कि अंतरणकर्ता ने ऐसे स्थानांतरण से पूर्व यहाँ के प्रत्येक पक्षकार को (i) अनुसूची 2A में निर्धारित प्रारूप में हस्तांतरिती द्वारा विधिवत निष्पादित पालन विलेख; (ii) हस्तांतरिती का लिखित करार कि हस्तांतरिती के किसी निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक की सम्बद्ध संस्था न रहने की स्थिति में वह ऐसी घटना से पूर्व कंपनी में अपने द्वारा धारित सभी शेयरों को संबंधित निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक, जैसा भी मामला हो, या संबंधित निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक की अन्य सम्बद्ध संस्था को स्थानांतरित कर देगा; और (iii) संबंधित निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक से अनुसूची 4 के रूप में हस्तांतरिती के दायित्वों के उचित निष्पादन की गारंटी देने वाली गारंटी दी हो।
- (घ) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रवर्तकों या राज्य प्रवर्तकों की एक सम्बद्ध संस्था (जो इसके खंड 12.3(ग) के अनुसार किसी भी शेयर की हस्तांतरिती है) को किसी भी समय अपने द्वारा धारित शेयरों में से कोई भी शेयर ऐसे पक्षकार की दूसरी सम्बद्ध संस्था को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा जिसकी शेयर पात्रता वह रखती है, जो यहाँ अंतरणकर्ता के दायित्वों को उठाने में सक्षम हो।
- (ङ) एक पक्षकार राजनीतिक जोखिमों (जैसे जब्ती और राष्ट्रीयकरण) के खिलाफ परियोजना में अपने निवेश का बीमा करा सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निवेश का भारी नुकसान होगा। पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यदि बीमित घटना के घटित होने की स्थिति में संबंधित बीमाकर्ता या उसके नामितों को तीसरे पक्ष के अधिकारों से मुक्त शेयर स्थानांतरित करना ऐसी बीमा-कवर प्रदान करने की शर्त है, तो वह पक्षकार ऐसा करने का हकदार होगा।

12.4 अन्य स्थानांतरण: लागू लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, या उससे पहले यदि सभी पक्षकारों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की जाती है, तो किसी पक्षकार द्वारा शेयरों का कोई भी स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (क) यदि कोई पक्षकार या उसकी सम्बद्ध संस्था कंपनी में अपने कुछ या सभी शेयरों ("प्रस्तावित शेयर") को बेचने की इच्छुक है, तो ऐसा पक्षकार ("प्रस्तावक") बिक्री मूल्य ("क्रय मूल्य") के साथ अन्य सभी पक्षकारों को लिखित रूप में सूचित ("बिक्री सूचना") करेगा।
- (ख) अन्य पक्षकारों ("प्रस्ताव प्राप्तकर्ता") के पास बिक्री सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि ("विकल्प अवधि") के लिए क्रय मूल्य पर अपने संबंधित इक्विटी प्रतिशत के अनुपात में या जैसा तय हो, सभी प्रस्तावित शेयरों को खरीदने का अधिकार होगा।
- (ग) यदि विकल्प अवधि की समाप्ति पर प्रस्तावक को सभी प्रस्तावित शेयरों के लिए क्रय सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो प्रस्तावक 180 दिनों के भीतर किसी भी व्यक्ति को बिक्री सूचना से कम अनुकूल न होने वाली शर्तों पर शेयर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (घ) यदि प्रस्तावक को सभी शेयरों के लिए क्रय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो प्रस्ताव प्राप्तकर्ता भुगतान करने और बिक्री पूरी करने के लिए बाध्य होंगे। प्रत्येक बिक्री सूचना और क्रय सूचना अपरिवर्तनीय होगी।
- (ङ) यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो प्रस्तावक ऐसे शेयरों का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा मानो कोई क्रय सूचना प्राप्त न हुई हो।
- (च) यदि बिक्री के लिए भारत में किसी प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय की गणना समय सीमाओं में नहीं की जाएगी।
- (छ) किसी तीसरे पक्ष को कोई भी स्थानांतरण तभी प्रभावी होगा जब वह तीसरा पक्ष अनुसूची 2B के अनुसार पालन विलेख निष्पादित करके इस करार की शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हो जाए।
- (ज) इस खंड का अनुपालन न करने वाला कोई भी प्रयास इस करार का उल्लंघन होगा।
- (झ) इस करार में निहित शेयर स्थानांतरण पर कोई भी प्रतिबंध (i) खंड 18 के तहत स्थानांतरण पर; और (ii) प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के बाद लागू नहीं होगा।

12.5 अन्य निवेशक शेयरों की बिक्री: शेयर: अन्य निवेशक अपने शेयरों ("अन्य निवेशक * शेयर") को निजी प्रमोटरों या उनके सहयोगियों को उनके बीच सहमत शर्तों पर बेच सकते हैं। वही और प्रक्रियाएं 'हालांकि, इस घटना में कि निजी प्रमोटरों या उनके सहयोगियों ने अन्य निवेशक शेयरों का अधिग्रहण नहीं किया है, राज्य प्रमोटरों को आवेदन प्राप्त करने के लिए पहले इनकार करने का अधिकार होगा। यदि खंड 12.4 के निजी प्रवर्तक तदनुसार राज्य प्रवर्तकों या उनके सहयोगियों के लिए अन्य निवेशक शेयरों 2s उपरोक्त का अधिग्रहण नहीं करते हैं, तो अन्य निवेशक शेयरों को किसी तीसरे पक्ष या पार्टियों को बेचा जा सकता है जिन्होंने इसकी शर्तों से बंधे रहने के लिए सहमत होते हुए इस से संलग्न अनुसूची 2C के रूप में एक पालन की डीड निष्पादित की है।

12.6 व्यतिक्रम पर स्थानांतरण:

(क) इस करार के खंड 7.7 (iii) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के लिए सहमति होगी:

(i) एक बीआईएएल घटना (जैसा कि शब्द सीए में परिभाषित है), और भारत सरकार से उस धनराशि की बीआईएएल की रसीद जो कि खंड करार के 13.4.1 में निर्धारित है।

(ii) बी.आई.ए.एल. व्यतिक्रम घटना या भारत सरकार व्यतिक्रम घटना के घटित होने और राशि प्राप्त होने के बाद,

इस करार के खंड 12.3 से 12.5 शेरों के किसी भी स्थानांतरण पर लागू नहीं होंगे।

(ख) बी.आई.ए.एल. व्यतिक्रम घटना या कर्नाटक सरकार व्यतिक्रम घटना के घटित होने और राशि प्राप्त होने के बाद, खंड 12.3 से 12.5 लागू नहीं होंगे।

(i) बीआईएएल डिफॉल्ट घटना (जैसा कि राज्य समर्थन समझौते में परिभाषित किया गया है), राज्य समर्थन समझौते के खंड 193.1 में निर्धारित राशि की बीआईएएल द्वारा प्राप्त नहीं, या

(ii) राज्य समर्थन समझौते के खंड 193.2 में निर्धारित राशि की गोके से बीआईएएल डिफॉल्ट घटना (जैसा कि राज्य समर्थन समझौते में परिभाषित किया गया है) और इस समझौते के

खंड 12.3 से 12.5 तक की राशि की गोके से बीआईएएल द्वारा प्राप्त नहीं, शेरों के किसी भी हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी।

12.7 स्थानांतरण की स्थिति में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व: ऐसे स्थानांतरण पर स्थानांतरणकर्ता पक्षकार के अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे।

12.8 निपटारा राशि का वितरण:

12.8.1 पक्षकार और कंपनी स्वीकार करते हैं और निम्नलिखित पर सहमत होते हैं:

(क) रियायत करार या राज्य सहायता करार के तहत चूक होने और निपटारा राशि प्राप्त होने पर, कंपनी सबसे पहले वित्तपोषण करारों के तहत बकाया राशि का भुगतान करेगी,

(i) वित्त करार के अधीन देय और बकाया किसी धनराशि का भुगतान करना।

(ii) कर्नाटक सरकार को साइट सपोर्ट की बकाया राशि या राज्य समर्थन समझौते के खंड 3.8 के तहत देय राशि का भुगतान करना।

(iii) कंपनी के असुरक्षित देनदारों को देय किसी भी राशि का भुगतान करेगी;

12.8.2 निपटारा राशि के शेष हिस्से और कंपनी की अन्य सभी शेष परिसंपत्तियों का निपटान खंड 12.8.3 के अनुसार किया जाएगा।

12.8. 3 रियायत करार के खंड 13.5 के तहत या राज्य सहायता करार के खंड 19.4 के तहत विमानपत्तन परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर, पक्षकार लागू स्थानांतरण तिथि तक संचालित किसी भी शेष गतिविधि को जारी रखने पर सहमति व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। यदि पक्षकार रियायत करार या राज्य सहायता करार, जैसा भी मामला हो, के तहत स्थानांतरण तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, तो पक्षकार कंपनी को स्वैच्छिक परिसमापन में डालने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। तत्पश्चात, परिसमापन आय का भुगतान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को उनकी संबंधित इक्विटी धारिताओं के आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

13 लाभांश

सामान्य बैठक में कंपनी लाभांश घोषित कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की राशि से अधिक नहीं होगा। किसी भी लाभांश की घोषणा की सिफारिश करते समय, बोर्ड यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विमानपत्तन की विस्तार योजनाओं और उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पर विचार करेगा।

14 संचय

अधिनियम की धारा 205 (2A) के अनुसार कंपनी द्वारा स्थापित संचय में प्रत्येक वर्ष स्थानांतरित लाभ की राशि अधिनियम की धारा 205 (2A) और उसके अनुसार निर्धारित नियमों द्वारा आवश्यक राशि से अधिक नहीं होगी। इसके पक्षकार समय-समय पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक बार उस तरीके की समीक्षा करेंगे और उसे निर्धारित करेंगे जिसमें ऐसे संचय का निवेश किया जाएगा।

15 लेखापरीक्षा और लेखा

15.1 जी.ए.ए.पी.: पक्षकार कंपनी से जी.ए.ए.पी. के अनुसार सत्य और सटीक खाते और रिकॉर्ड रखवाएंगे।

15.2 जीएएपी: पक्षकारों को जानकारी: कंपनी पक्षकारों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी:

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के जी.ए.ए.पी. के तहत यथा आवश्यक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द, और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अधिकतम चार (4) महीनों के भीतर;

- (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय विवरण व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द, और ऐसी तिमाही अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम दो (2) महीनों के भीतर;
- (ग) इस करार के खंड 13 के अनुसार किए जाने वाले कंपनी के किसी भी लाभांश वितरण के संबंध में प्रदान की जाने वाली परियोजना से संबंधित सभी जानकारी;
- (घ) कंपनी के किसी भी ऋणदाता को प्रदान की जाने वाली परियोजना से संबंधित सभी जानकारी; और
- (ङ) पक्षकारों को संबंधित वर्ष की समाप्ति के बाद दो (2) वर्षों की अवधि के लिए या लागू कानून द्वारा यथा आवश्यक, जो भी अधिक हो, कंपनी के रिकॉर्ड का लेखापरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए परियोजना से संबंधित सभी जानकारी।

15.3 पक्षकारों द्वारा निरीक्षण: पक्षकार कंपनी से नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के सभी खातों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करने के लिए पक्षकारों में से प्रत्येक के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अनुमति दिलवाएंगे (ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा उपयुक्त गोपनीयता उपक्रम निष्पादित करने के अधीन)।

15.4 वित्तीय जानकारी: निजी प्रवर्तक राज्य प्रवर्तकों को वार्षिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्टों, तुलन पत्रों और लाभ एवं हानि खातों की प्रतियाँ प्रदान करेंगे, जो इसके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होंगी और उनके साथ उनका हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

16 सूचीबद्धता

- 16.1 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम: पक्षकार सहमत हैं कि वे इस करार की अवधि के दौरान एक उपयुक्त चरण में एक आई.पी.ओ. लाने की संभावना पर एक-दूसरे के साथ परामर्श और चर्चा करेंगे।
- 16.2 सूचीबद्धता: यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते हैं और आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति पर, कंपनी एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाएगी।
- 16.3 व्यय: आई.पी.ओ. या बिक्री के प्रस्ताव या सूचीबद्धता से सीधे संबंधित सभी व्यय, जैसे लीड मैनेजर को शुल्क का भुगतान, दलाली और हमेंदारी (अंडरराइटिंग), सूचीबद्धता शुल्क, मुद्रण प्रभार, रजिस्ट्रार को देय शुल्क और अन्य संबंधित व्यय कंपनी द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे।

17 अभ्यावेदन और वारंटियां

17.1 के.एस.आई.आई.डी.सी. के अभ्यावेदन और वारंटियां: के.एस.आई.आई.डी.सी. पक्षकारों को अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

- (क) कंपनी भारत के कानूनों के तहत विधिवत निगमित और वैध रूप से विद्यमान एक सीमित दायित्व कंपनी है और उसने इस पर लागू सभी कानूनों और नियमों का पालन किया है।

- (ख) न तो इस करार या परियोजना करारों का निष्पादन और सुपुर्दगी और न ही ऐसे करारों की शर्तों का अनुपालन जापन और नियमावली का उल्लंघन करेगा।
- (ग) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और न ही कभी कोई सहायक कंपनी रही है।
- (घ) कंपनी के नवीनतम वित्तीय विवरणों में यथा उल्लेखित के अलावा, कंपनी पर उसकी चुकता शेयर पूंजी और उसके निगमन के कारण उस पर लगाए गए दायित्वों के अलावा कोई देनदारियां या दायित्व नहीं हैं।
- (ङ) लिखित रूप में अन्यथा प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी ने ऐसे किसी भी करार या किसी अन्य व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है जो कंपनी पर कोई देनदारियां या दायित्व उत्पन्न करता हो।
- (च) किसी भी सरकारी एजेंसी, सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड, ब्यूरो या निकाय के समक्ष कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही, आदेश, जांच या दावा लंबित या धमकी भरा नहीं है।
- (छ) इसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, भारतीय कर प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी विवरण, परिकलन और भुगतान विधिवत किए गए हैं और कर की विधिवत कटौती या लेखांकन किया गया है।
- (ज) इसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कानून या सरकारी नियम, नियमन या आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं किया है।
- (झ) इस करार की तिथि के अनुसार, अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) है, जो प्रत्येक 10/- रुपये अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) साधारण शेयरों में विभाजित है, जिनमें से 50,000 (पचास हजार) निर्गमित और पूर्ण चुकता हैं और ऐसे सभी निर्गमित शेयर खंड 7.2 में उल्लेखित अनुसार स्वामित्व वाले और धारित हैं।
- (ञ) लागू ऐसे कोई भी करार या व्यवस्थाएं नहीं हैं जो कंपनी के किसी भी साधारण शेयर या ऋण पूंजी के वर्तमान या भविष्य के आवंटन, निर्गम या स्थानांतरण का उपबंध करती हों, या किसी व्यक्ति को आवंटन, निर्गम या स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार प्रदान करती हों (जिसमें कोई विकल्प या पूर्व-क्रय या रूपांतरण का अधिकार शामिल है)।

17.2 निजी प्रवर्तकों के अभ्यावेदन और वारंटियां: प्रत्येक निजी प्रवर्तक राज्य प्रवर्तकों और कंपनी को अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

- (क) इस करार की तिथि के अनुसार, यह न्यूनतम कुल मूल्य (नेट वर्थ), वार्षिक कारोबार और नकद संचय की आवश्यकताओं सहित परियोजना को शुरू करने के लिए प्रस्ताव के अनुरोध (आर.एफ.पी.) में निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन करना जारी रखता है।

(ख) इसके द्वारा इस करार का निष्पादन या प्रदर्शन इसके किसी भी दायित्व का उल्लंघन या विरोध नहीं करता है।

(ग) इसके द्वारा राज्य प्रवर्तकों को प्रदान की गई सभी जानकारी, डेटा और दस्तावेज सभी सारवान पहलुओं में सत्य और सही हैं।

17.3 पक्षकारों के अभ्यावेदन और वारंटियां: प्रत्येक पक्षकार दूसरे को अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

(क) यह अपने निगमन या मूल देश के कानूनों के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से विद्यमान है और उसके पास अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और अधिकार हैं जैसा कि अब संचालित किया जा रहा है।

(ख) यह करार इसके वैध, कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व का गठन करता है।

(ग) यह ऐसी आगे की कार्रवाई करेगा, ऐसे आगे के लिखतों और दस्तावेजों का निष्पादन और सुपुर्दगी करेगा, और आमतौर पर ऐसी अन्य सभी बातें करेगा जो इस करार में परिकल्पित लेन-देन को पूरा करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हों।

(घ) उसने इस करार और इस करार में परिकल्पित लेन-देन के निष्पादन, सुपुर्दगी और प्रदर्शन को प्राधिकृत करने या अनुमति देने के लिए लागू सभी आवश्यक कार्रवाई, कॉर्पोरेट या अन्यथा, की है।

(ङ) इसके द्वारा इस करार का निष्पादन, सुपुर्दगी या प्रदर्शन: (i) इसके ज्ञापन या नियमावली का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करेगा या भा.वि.प्रा. के मामले में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, जैसा भी मामला हो, का उल्लंघन नहीं करेगा; (ii) इसके किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के विरोध में या उसके तहत व्यतिक्रम या भंग का गठन नहीं करेगा; या (iii) इस पर या इसके व्यवसाय या परिसंपत्तियों पर लागू किसी भी कानून, नियमन, प्रशासनिक आदेश या न्यायिक आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा।

(च) किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकारी प्राधिकारी या निकाय, घरेलू या विदेशी, के समक्ष या उसके द्वारा इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है, जो इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता को सारवान और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

17.4 दस्तावेजों की प्राप्ति: निजी प्रवर्तक सहमत हैं कि उन्हें राज्य प्रवर्तकों से उनके द्वारा अनुरोधित सभी दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं। पक्षकार पुष्टि करते हैं कि उन्होंने अपने निर्णय के आधार पर इस करार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है।

18 अवधि और समापन

18.1 अवधि: यह करार इसके निष्पादन पर प्रभावी होगा और इसके निष्पादन की तिथि से पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा जब तक कि इसकी शर्तों के अनुसार समाप्त न कर दिया जाए।

18.2 दिवाला घटना और इसके परिणाम:

18.2.1 इस खंड 18 के प्रयोजनों के लिए, किसी पक्षकार के संबंध में 'दिवाला घटना' का अर्थ निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाओं से होगा: (क) इसकी परिसंपत्तियों पर एक रिसीवर या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है; (ख) यदि इसका विघटन या परिसमापन किया जाता है; (ग) इसके स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है या (घ) इसके विरुद्ध दायर किसी परिसमापन याचिका या दिवाला में एक परिसमापक नियुक्त किया गया है। स्पष्टता के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भा.वि.प्रा. या उसकी संपत्ति के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत भारत सरकार द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग दिवाला की घटना नहीं होगी।

18.2.2 (क) यदि कोई निजी प्रवर्तक दिवाला घटना से ग्रस्त होता है ("प्रभावित पक्षकार"), तो अन्य निजी प्रवर्तक नब्बे (90) दिनों के भीतर या तो (i) प्रभावित पक्षकार द्वारा धारित शेयरों का अधिग्रहण करेंगे या (ii) राज्य प्रवर्तकों को तर्कसंगत रूप से स्वीकार्य किसी तीसरे पक्षकार की पहचान करेंगे जो ऐसे शेयरों को खरीदने के लिए तैयार हो। ऐसे शेयरों का क्रय मूल्य उचित बाजार मूल्य होगा। (ख) यदि अन्य निजी प्रवर्तक ऐसे शेयरों का अधिग्रहण न करने का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य प्रवर्तक मांग करने के हकदार होंगे कि ऐसे शेयर उचित बाजार मूल्य पर राज्य प्रवर्तकों या उनके द्वारा चुने गए किसी तीसरे पक्षकार को बेचे जाएं।

18.2.3 (क) यदि कोई राज्य प्रवर्तक दिवाला घटना से ग्रस्त होता है ("राज्य प्रभावित पक्षकार"), तो दूसरा राज्य प्रवर्तक नब्बे (90) दिनों के भीतर या तो (i) राज्य प्रभावित पक्षकार द्वारा धारित शेयरों का अधिग्रहण करेगा या (ii) ऐसे शेयरों को खरीदने के लिए तैयार किसी तीसरे पक्षकार की पहचान करेगा। (ख) यदि दूसरा राज्य प्रवर्तक ऐसे शेयरों का अधिग्रहण न करने का विकल्प चुनता है, तो निजी प्रवर्तक मांग करने के हकदार होंगे कि ऐसे शेयर उचित बाजार मूल्य पर निजी प्रवर्तकों या उनके द्वारा चुने गए किसी तीसरे पक्षकार को बेचे जाएं।

18.3 निजी प्रवर्तक का सारवान भंग और इसके परिणाम:

(क) यदि कोई निजी प्रवर्तक इस करार के सारवान भंग में है ("व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक") और इसे तुरंत ठीक करने में विफल रहता है, तो कोई भी अन्य पक्षकार ऐसे व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक पर तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे सारवान भंग को ठीक करने की आवश्यकता वाली सूचना तामील कर सकता है। यदि भंग ठीक नहीं किया जाता है, तो अन्य गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तकों के पास साठ (60) दिनों के भीतर या तो (i) व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक के शेयरों का अधिग्रहण करने का या (ii) किसी तीसरे पक्षकार की पहचान करने का अधिकार होगा। ऐसे शेयरों की कीमत सममूल्य (पार वैल्यू) और उचित बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, होगी।

(ख) यदि गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक शेयरों का अधिग्रहण न करने का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य प्रवर्तक निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे:

(i) यह मांग करना कि व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक अपने सभी शेयरों को स्थानांतरण की तिथि पर सममूल्य के पचास प्रतिशत (50%) या उचित बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत (50%), जो भी कम हो, पर राज्य प्रवर्तकों या उनके द्वारा चुने गए तीसरे पक्षकार को स्थानांतरित करे;

(ii) यह मांग करना कि गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक अपने सभी शेयरों को स्थानांतरण की तिथि पर सममूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%) या उचित बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%), जो भी कम हो, पर राज्य प्रवर्तकों या उनके द्वारा चुने गए तीसरे पक्षकार को स्थानांतरित करे;

(iii) यह मांग करना कि कंपनी किसी भी ऐसे परियोजना करार को समाप्त करे जिसका व्यतिक्रमी निजी प्रवर्तक पक्षकार है।

18.4 राज्य प्रवर्तक का सारवान भंग और इसके परिणाम:

(क) यदि कोई राज्य प्रवर्तक इस करार के सारवान भंग में है ("व्यतिक्रमी राज्य प्रवर्तक") और इसे तुरंत ठीक करने

में विफल रहता है, तो कोई भी अन्य पक्षकार तीस (30) दिनों की सूचना दे सकता है। यदि वह विफल रहता है, तो दूसरा गैर-व्यतिक्रमी राज्य प्रवर्तक साठ (60) दिनों के भीतर व्यतिक्रमी राज्य प्रवर्तक के संपूर्ण शेयरधारिता हित का अधिग्रहण करेगा।

(ख) यदि गैर-व्यतिक्रमी राज्य प्रवर्तक ऐसा करने में विफल रहता है, तो एक निजी प्रवर्तक राज्य प्रवर्तकों से मांग करने का हकदार होगा कि वे:

(i) ऐसे निजी प्रवर्तक द्वारा धारित सभी शेयरों को उचित बाजार मूल्य या सममूल्य, जो भी अधिक हो, पर खरीदें;

(ii) ऐसे निजी प्रवर्तक को वित्तपोषण करारों के तहत कंपनी के ऋणदाताओं के प्रति उसके दायित्वों से मुक्त करें;

(iii) इस करार के खंड 9.8 के अनुसार ऐसे निजी प्रवर्तक द्वारा कंपनी को दिए गए किसी भी अधीनस्थ ऋण की प्रतिपूर्ति करें; और

(iv) कंपनी द्वारा लिए गए किसी भी उधार के संबंध में ऐसे निजी प्रवर्तक द्वारा किसी ऋणदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति करें।

18.5 समापन के परिणाम: इस करार का कोई भी समापन बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

18.6 निरंतर रहने वाले पक्षकार इस करार से बाध्य होंगे: जिसके शेयर स्थानांतरित किए गए हैं, उसके अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे और अन्य सभी पक्षकार इस करार से बाध्य रहेंगे।

18.7 पक्षकार परियोजना करारों में सक्षम प्रावधान शामिल करेंगे।

18.8 कार्यान्वयन: पक्षकार इस खंड के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वचन देते हैं।

18.9 अनन्य उपाय: इस करार में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय ही पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे।

18.10 परिणामी हानि के लिए दायित्व: कोई भी पक्षकार किसी अन्य पक्षकार द्वारा सही गई किसी भी परिणामी हानि (अप्रत्यक्ष हानि, लाभ की हानि, उत्पादन की हानि) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19 शेयरधारक करार सर्वोपरि होगा

19.1 ज्ञापन और नियमावली: पक्षकार सहमत हैं कि कंपनी के ज्ञापन और नियमावली में कानूनी रूप से अनुमेय सीमा तक इस करार के प्रावधान शामिल होंगे। तदनुसार, पक्षकार साठ (60) दिनों के भीतर ज्ञापन और नियमावली में किए जाने वाले संशोधनों पर सहमति व्यक्त करेंगे।

19.2 पक्षकारों के संबंध में सर्वोच्चता: इस करार का कोई भी प्रावधान कंपनी की नियमावली के प्रावधानों के साथ विरोध की सीमा तक लागू कानून के अधीन पक्षकारों के बीच सर्वोपरि होगा।

20 समनुदेशन

कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकारों की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसके तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित नहीं कर सकता है।

21 गोपनीयता, प्रकटीकरण-निषेध और गुप्तता

21.1 जानकारी की गोपनीयता: सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि t0 कंपनी के एक घटक द्वारा दूसरे को प्रदान की गई कोई भी और सभी वाणिज्यिक और तकनीकी जानकारी और तारीख को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी जानकारी और तारीख प्राप्त करने वाले घटक, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी और डेटा को किसी भी व्यक्ति फर्म को प्रकट नहीं करेंगे या संबंधित 'अन्य घटक' की पूर्व सहमति के बिना इस समझौते के 'संबंध में' के अलावा किसी भी तरीके से इसका उपयोग नहीं करेंगे। घटक किसी भी घटक द्वारा उसे प्रदान की गई जानकारी और डेटा के संबंध में गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण के इस दायित्व से कंपनी को बाध्य करेंगे।

21.2 अपवाद: हालांकि, गोपनीयता के प्रति दायित्व में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (i) ऐसी जानकारी और डेटा जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है या जिसे कानून द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है, जैसा कि कानून की अदालत द्वारा अनुरोध किया गया है; (ii) किसी तीसरे पक्ष को अपने शेयरों के किसी प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में किसी पार्टी द्वारा कोई प्रकटीकरण (ऐसे तीसरे पक्ष के उचित गोपनीयता उपक्रम के दायित्व के अधीन); (iii) सहमति, परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य प्रवर्तकों और निजी प्रवर्तकों द्वारा गैल और या कर्नाटक सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को किया जाने वाला कोई प्रकटीकरण; और (iv) परियोजना के वित्तपोषण के उद्देश्य से संभावित वित्तपोषकों या व्यवस्थापकों या निवेश बैंकों को कोई प्रकटीकरण।

21.3 अवधि: इस खंड 21 के दायित्व इस करार के समापन के बाद 5 (पांच) वर्षों तक बने रहेंगे।

- 21.4 बाध्यकारी प्रकृति: प्रत्येक पक्षकार वचन देता है कि वह और उसके सहयोगियों और ऐसे पक्ष के नामांकित व्यक्तियों और कर्मचारियों और ऐसे सहयोगी और नामांकित व्यक्तियों के प्रत्येक कर्मचारी, समय की सीमा के बिना, चाहे इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए या इस समझौते की समाप्ति के बाद, किसी तीसरे पक्ष को (सिवाय इसके कि ऐसे पक्ष को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इसके तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो या कानून द्वारा आवश्यक हो) प्रकट या संचारित नहीं करेगा या कंपनी या किसी अन्य पक्ष या उसके सहयोगियों या नामांकित व्यक्तियों के निजी मामलों के बारे में किसी भी जानकारी का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।
- 21.5 सार्वजनिक घोषणा: अन्य पक्षकारों के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इस समझौते के विषय की कोई सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। 'अन्य पार्टियों की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना या इसमें पर विचार किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में (सिवाय कानून या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक के रूप में, जिस घटना में घोषणा का दायरा प्रकट किए जाने वाले मामलों तक सीमित होगा और प्रकट करने वाला पक्ष, यदि व्यावहारिक हो, तो ऐसी घोषणा की शर्तों और समय पर अन्य पार्टियों के साथ परामर्श करेगा)।

22 पक्षकारों का संबंध

यहाँ निहित कुछ भी पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा।

23 संपूर्ण करार

यह समझौता और इससे जुड़े कार्यक्रम इस विषय के संबंध में पार्टियों के बीच संपूर्ण समझौते को गठित करते हैं और इससे संबंधित सभी पूर्व संचारों, उपक्रमों और समझौतों को प्रतिस्थापित करते हैं, सिवाय इसके कि स्पष्ट रूप से यहां अन्यथा प्रदान किया गया है।

24 परिवर्तन

यह करार केवल एक लिखित लिखत द्वारा ही संशोधित या परिवर्तित किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से इस करार का संदर्भ दिया गया हो और जिस पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

25 छूट

- 25.1 सहमति द्वारा छूट: इस करार की किसी भी शर्त या प्रावधान से छूट, या इसके तहत दी गई सहमति, केवल तभी प्रभावी होगी जब वह लिखित रूप में दी गई हो और छूट देने वाले या सहमति देने वाले पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित हो और केवल उसी उदाहरण और उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए यह दी गई है। पक्षकारों की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना इस करार के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से छूट नहीं दी जाएगी और न ही उसे मुक्त किया जाएगा।
- 25.2 विफलता या विलंब: इस करार के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में किसी भी पक्षकार की ओर से कोई विफलता या विलंब उसकी छूट के रूप में कार्य नहीं करेगा, और न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकेगा।
- 25.3 संचयी अधिकार: यहाँ प्रदान किए गए अधिकार और उपचार संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपचार को बाहर नहीं करते हैं।
- 25.4 संप्रभु उन्मुक्ति: राज्य प्रवर्तकों में से प्रत्येक इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत होता है कि उसके द्वारा इस करार का निष्पादन, सुपुर्दगी और प्रदर्शन निजी और व्यावसायिक कृत्यों का गठन करता है न कि सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों का;

(ख) सहमत होता है कि यदि इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी पक्षकार द्वारा उसके या उसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो ऐसी कार्यवाही, निष्पादन, कुड़की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से स्वयं द्वारा या उसकी ओर से या उसकी किसी परिसंपत्ति के संबंध में किसी भी उन्मुक्ति, संप्रभु या अन्यथा, का दावा नहीं किया जाएगा; और ऐसी किसी भी उन्मुक्ति के अधिकार, संप्रभु या अन्यथा, को छोड़ता है जो उसकी या उसकी परिसंपत्तियों के पास अब है या भविष्य में इस करार के तहत या इसके संबंध में लाई गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हो सकती है और/या जिसका वह आनंद ले सकती है।

26 अमान्यता

यदि इस करार का कोई प्रावधान किसी क्षेत्राधिकार के कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है, तो उस क्षेत्राधिकार के कानून के तहत किसी भी अन्य प्रावधान की वैधता, वैधानिकता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या क्षीण नहीं होगी।

27 सूचनाएं

27.1 विवरण: इस करार द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उनके संबंध में दी गई या बनाई गई कोई भी सूचना, अनुरोध, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या पंजीकृत डाक पावती देय द्वारा या फैक्स द्वारा या कूरियर द्वारा भेजा जाएगा:

के.एस.आई.आई.डी.सी. के मामले में: खानिज भवन, ईस्ट विंग, चौथी मंजिल, #49, रेस कोर्स रोड, बंगलौर 560 001 भारत | फैक्स # (+91-80) 2225 5740 | ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक

भा.वि.प्रा. के मामले में: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003 | फैक्स # (+91-11) 463 2990 | ध्यानार्थ: अध्यक्ष

बी.आई.ए.एल. के मामले में: खानिज भवन, भूतल, #49, रेस कोर्स रोड, बंगलौर 560 001 भारत | फैक्स # (+91-80) 2208 1284 | ध्यानार्थ: मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सीमेंस के मामले में: फ्रायेसलेबेनस्ट्रासे 1, डी-91058, एरलांगेन, जर्मनी | फैक्स # (+49-9131) 187356 | ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक

यूनिक ज्यूरिख के मामले में: ज्यूरिख एयरपोर्ट लिमिटेड, पी.ओ. बॉक्स, सी.एच.-8058 ज्यूरिख-एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड | फैक्स # (+41) 1816 7999 | ध्यानार्थ: सी.ई.ओ. एवं अध्यक्ष

एल एंड टी के मामले में: ई.सी.सी. डिवीजन, माउंट-पूनमल्ली रोड, मनापक्कम, चेन्नई - 600 089 | फैक्स # (+91-44) 249 3317 | ध्यानार्थ: श्री के.वी. रंगस्वामी, पूर्णकालिक निदेशक एवं अध्यक्ष

और विधिवत दिया गया या बनाया गया तब माना जाएगा:

- (क) यदि व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, तो संबंधित पक्षकार के पते पर सुपुर्दगी पर;
- (ख) यदि पंजीकृत डाक पावती देय द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्ट करने के सात (7) दिनों के बाद;
- (ग) यदि फैक्स द्वारा भेजा जाता है, तो प्राप्तकर्ता से प्रेषक द्वारा फैक्स प्राप्त होने की पुष्टि की प्राप्ति पर;
- (घ) यदि कूरियर द्वारा भेजा जाता है, तो प्रेषण की तारीख के चार (4) दिनों के बाद।

27.2 पते में परिवर्तन: कोई पक्षकार खंड 27.1 के प्रयोजनों के लिए अपने नाम, संबंधित प्राप्तकर्ता, पते या फैक्स नंबर में परिवर्तन की सूचना अन्य पक्षकारों को दे सकता है जैसा कि यहाँ उपबंधित है।

28 लागू कानून

28.1 भारतीय कानून: इस करार का निर्वचन और प्रवर्तन भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

28.2 क्षेत्राधिकार: खंड 29 के अधीन, बंगलौर की अदालतों के पास किसी भी अंतरिम राहत प्रदान करने और किसी भी अधिनिर्णय के प्रवर्तन का क्षेत्राधिकार होगा।

29 मध्यस्थता

29.1 बातचीत एवं सुलह: यदि इसके संबंध में या इसके संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद, मतभेद, दावा या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो पक्षकार आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से उक्त विवादों या मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

29.2 मध्यस्थ को संदर्भ: इस करार के संबंध में या इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न और विवाद जिन्हें पक्षकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे को इस खंड 29.2 के प्रयोजन के लिए विवाद मौजूद होने की अधिसूचना के साथ (60) दिनों (या पक्षकार जैसा सहमत हों) के भीतर आपस में सुलझाने में असमर्थ हैं, उन्हें भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और यूनिसिट्रल नियमों ('नियम') के अनुसार नियमों के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और नियमों के बीच टकराव के मामले में, पूर्ववर्ती सर्वोपरि होगा।

29.3 विविध: मध्यस्थता का स्थान बंगलौर, भारत होगा। प्रत्येक पक्षकार नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागतों के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्षकार या किसी भी पक्षकार की सम्बद्ध संस्था का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी

या एजेंट, या परामर्शदाता या वकील नहीं होगा, या किसी भी तरह से पक्षकारों के प्रवर्तकों, भागीदारों या लाभार्थियों से संबंधित या निकटता से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

29.4 निर्णय/अधिनिर्णय: इस खंड 29 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या अधिनिर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय की अपील या किसी समीक्षा के किसी भी अधिकार को छोड़ते हैं जहाँ तक कि ऐसी छूट वैध रूप से दी जा सकती है।

30 प्रतियां

यह करार छह (6) प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, एक-एक प्रति प्रत्येक पक्षकार द्वारा रखी जाएगी, जिनमें से प्रत्येक मूल प्रति होगी लेकिन वे सभी मिलकर एक ही करार का गठन करेंगे।

[पृष्ठ का शेष भाग आशयपूर्वक खाली छोड़ा गया है]

साक्ष्य के रूप में

जिसके साक्ष्य के रूप में इस करार को ऊपर लिखी गई तिथि को निष्पादित किया गया है।

कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित:

गवाह के हस्ताक्षर: जी.एल. जेरे (महाप्रबंधक, के.एस.आई.आई.डी.सी.) | प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: आई.एम. विट्टलमूर्ति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित:

गवाह के हस्ताक्षर: जे. सुब्रमण्यन (महाप्रबंधक) | प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: वी.डी.वी. प्रसाद राव (सदस्य)

सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जी.एम.बी.एच. की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित:

प्राधिकृत प्रतिनिधि: डॉ. वोल्फगैंग विशोफ, क्लाउस कोलोट

फ्लुघाफेन ज्यूरिख ए.जी. की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित:
गवाह के हस्ताक्षर: बी. शिम्टहौसर | प्राधिकृत प्रतिनिधि: बीट स्पालिंगर

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित:
गवाह के हस्ताक्षर: ए. कार्तिकेयन | प्राधिकृत प्रतिनिधि: के.वी. रंगस्वामी

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से एवं के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित:
गवाह के हस्ताक्षर: एस.जी. शिवशंकनन | प्राधिकृत प्रतिनिधि: अल्बर्ट ब्रूनर

अनुसूची 1:

बी.आई.ए.एल. का विवरण

1. निगमन तिथि: 05 जनवरी 2001
2. पंजीकृत संख्या: सी.आई.एन.-U4520315A2001PLC028418
3. निगमन का स्थान: बंगलौर, कर्नाटक, भारत
4. पंजीकृत कार्यालय: खानिज भवन, भूतल, #49, रेस कोर्स रोड, बंगलौर-560 001
5. व्यवसाय की प्रकृति: नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आधार पर विमानपत्तन परियोजना के विकास, निर्माण और परिचालन को बढ़ावा देना और शुरू करना।
6. प्रथम निदेशक: श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, श्री राजीव चंद्रशेखर, श्री बी.के. दास
7. मौजूदा निदेशक: 1. श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, 2. श्री विनय कुमार, 3. श्री एन. गोकुल राम, 4. डॉ. नसीम जैदी, 5. श्री वी.डी.वी. प्रसाद राव, 6. डॉ. वोल्फगैंग विशोफ, 7. डॉ. फ्रिट्ज रुपस, 8. श्री ओ.पी. नरूला, 9. श्री मैन्फ्रेड ग्रेंजहाउसर, 10. श्री प्रमोद भंभानी, 11. श्री बीट स्पालिंगर, 12. सुश्री बारबरा शिमटहौसर, 13. श्री ए. रामकृष्ण, 14. श्री के.वी. रंगस्वामी

अनुसूची 2ए:

पालन विलेख का प्रारूप

किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा क्रय या निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक द्वारा किसी सम्बद्ध संस्था को या निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक की सम्बद्ध संस्था द्वारा दूसरी सम्बद्ध संस्था को शेयरों के स्थानांतरण के मामले में पालन विलेख का प्रारूप:

यह पालन विलेख उस तिथि को बनाया गया है... कानून के तहत गठित एक कंपनी और अपना प्रधान कार्यालय..... पर स्थित के मध्य हुआ है और

[प्रवर्तक जिसका सहयोगी शेयरों की सदस्यता ले रहा है या अधिग्रहण कर रहा है और अन्य सभी पक्ष] (अन्य पक्ष);

जबकि निजी प्रवर्तकों और राज्य प्रवर्तकों ने विमानपत्तन के संबंध में एक संयुक्त उद्यम के तहत अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के संबंध में एक शेयरधारक करार ('एस.एच.ए.') में प्रवेश किया है...

अब इसलिए, यह पालन विलेख गवाही देता है:

जबकि [प्राइवेटस्टेट]* प्रमोटर ने प्रस्ताव दिया है कि उसकी सहयोगी कंपनी [सदस्यता] [अधिग्रहण] *@ इक्विटी शेयरों के अनुसार एसएचए के खंड (7.7) [123]*® और जिसके अनुसार एक्सवाईजेड को उपरोक्त शेयरों के {सदस्यता} [स्थानांतरण]* के लिए एक शर्त के रूप में पालन की एक डीड निष्पादित करने की आवश्यकता है; और यद्यपि, इसलिए, शेयरों की कंपनी को निम्नलिखित {सदस्यता} [स्थानांतरण] जैसा कि ऊपर कहा गया है और एसएचए की शर्तों का पालन करना चाहता है;

अब इसलिए, अनुपालन विलेख निम्नानुसार विटनेस की जाती है:

1. एक्स.वाई.जेड. इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उसे एस.एच.ए. की एक प्रति प्रदान की गई है और वह अन्य पक्षकारों को एस.एच.ए. की सभी शर्तों से बाध्य होने और उनका पालन करने का वचन देता है मानो वह उसका एक पक्षकार हो।

2. यह पालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित और विश्लेषित होगा।

जिसके साक्ष्य में यहां की पक्षकारगणों ने इस प्रतिबद्धता के विलेख को निष्पादित किया है:

नाम टाइल गवाह द्वारा ' * लागू न होने वाले प्रमोटर को डेलोट करें जो शेयरों की सदस्यता ले रहा है द्वारा
द्वारा

नाम

नाम

शीर्षक

शीर्षक

गवाह

गवाह

जो लागू न हो उसे मिटा दें

अनुसूची 2बी:

किसी तीसरे पक्षकार को शेयरों के स्थानांतरण के मामले में पालन विलेख का प्रारूप

खंड 12.4(c) के अनुसार किसी तीसरे पक्षकार को शेयरों के स्थानांतरण के मामले में पालन विलेख का प्रारूप:

[स्थानांतरण पक्षकार को छोड़कर पक्षकारगण] [विवरण] [अन्य पक्षकार]

जबकि निजी प्रमोटरों" और राज्य प्रमोटरों ने हवाई अड्डे के संबंध में एक जॉइंट उद्यम के तहत अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों के संबंध में एक शेयरधारकों के समझौते में प्रवेश किया है और निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों ने इस उद्देश्य के लिए बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") में भाग लिया है

जबकि [स्थानांतरणकर्ता पार्टी], एक [निजी/राज्य] प्रवर्तक* एसएचए के खंड 12.4 के अनुसार और उसके खंड 12.4 () के अनुसार अपने द्वारा धारित इक्विटी शेयरों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है, प्रस्तावित अंतरिती को उपरोक्त शेयरों के हस्तांतरण के लिए एक शर्त के रूप में एक सहमति विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता है

जबकि इसलिए एक्सवाईजेड उपरोक्त हस्तांतरण के बाद कंपनी में इक्विटी शेयरों को धारण करेगा और एसएचए की शर्तों के पालन को रिकॉर्ड करना चाहता है

अब इसलिए, यह पालन विलेख गवाही देता है:

1. एक्स.वाई.जेड. इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उसे एस.एच.ए. की एक प्रति प्रदान की गई है और वह अन्य पक्षकारों को एस.एच.ए. की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता है मानो वह उसका एक पक्षकार हो।

नाम टाइल गवाह द्वारा ' * लागू न होने वाले प्रमोटर को डेलोट करें जो शेयरों की सदस्यता ले रहा है द्वारा

द्वारा

नाम

नाम

शीर्षक

शीर्षक

गवाह

गवाह

जो लागू न हो उसे मिटा दें

अनुसूची 2सी:

अन्य निवेशकों द्वारा अभिदान या किसी निजी प्रवर्तक द्वारा किसी अन्य निवेशक को शेयरों के हस्तांतरण के मामले में अनुपालन विलेख का प्रपत्र; या एक अन्य निवेशक से दूसरे अन्य निवेशक को

यह सहमति का यह कार्य पर एक कंपनी में शामिल और का प्रधान कार्यालय (एक्सचेंज) के बीच किया जाता है; और

[निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर] [अन्य पक्षकार]

जबकि कानूनों के तहत निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों ने एयरपोर्ट के संबंध में एक संयुक्त उद्यम के तहत अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों के संबंध में 2 शेयरधारक समझौते में प्रवेश किया है और निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों ने इस उद्देश्य के लिए बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") में भाग लिया है

जबकि [निजी प्रमोटरों] ने प्रस्ताव दिया है कि एक्सचेंज. एसएचए के खंड [7.4 या 12.5]* के अनुसार शेयरों की सदस्यता या अधिग्रहण करेगा और उसके अनुसार एक्सचेंज. को शेयरों की सदस्यता हस्तांतरण* के लिए एक शर्त के रूप में एक पालन की डीड निष्पादित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त और

यद्यपि इसलिए , के बाद सदस्यता हस्तांतरण* के अनुसार शेयर रखेगा और एसएचए की शर्तों का पालन करना चाहता है;

अब इसलिए, यह पालन की विधिकृतिका निम्नानुसार गवाही देती है:

1. एक्स.वाई.जेड. इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उसे एस.एच.ए. की एक प्रति प्रदान की गई है और वह एस.एच.ए. की सभी शर्तों से बाध्य होने का वचन देता है।
2. यह पालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा।

गवाह द्वारा पक्षकार एतद्वारा निम्नानुसार इस पालन विलेख निष्पादित करते हैं।

एक्सचेंज

[अन्य पक्षकार]

द्वारा

द्वारा

नाम

नाम

शीर्षक

शीर्षक

गवाह

गवाह

जो लागू न हो उसे मिटा दें

अनुसूची 3:

इक्विटी प्रतिबद्धताएं

पक्षकार	राशि (रुपये)
निजी प्रवर्तक	207.2 करोड़ रुपये
राज्य प्रवर्तक	72.8 करोड़ रुपये
कुल	280 करोड़ रुपये

अनुसूची 3ए:

पुनरीक्षित इक्विटी प्रतिबद्धताएं

पक्षकार	राशि (रुपये)
निजी प्रवर्तक	
सीमेंस	130,68,00,000/- रुपये
यूनिक ज्यूरिख	55,53,90,000/- रुपये
एल एंड टी	55,53,90,000/- रुपये
राज्य प्रवर्तक	
के.एस.आई.आई.डी.सी	42,47,10,000/- रुपये
भा.वि.प्रा.	42,47,10,000/- रुपये
कुल	3,26,70,00,000/- रुपये

अनुसूची 4

खंड 12.3(ग)(iii) / खंड 12.3(घ)(iii) के अनुसार शेयर (अंश) अंतरण की स्थिति में गारंटी पत्र का प्रपत्र

**

यह गारंटी पत्र (गारंटी विलेख) आज दिनांक को मैं [संबंधित निजी प्रवर्तक / राज्य प्रवर्तक / सम्बद्ध संस्था का नाम] द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसे इसके बाद "गारंटीदाता" कहा गया है (इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या विषय से प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

इनके पक्ष में:

[गारंटीदाता के अलावा अन्य पक्षकार] (इन्हें "अन्य पक्षकार" कहा गया है);

जबकि:

क. पक्षकारों ने बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") नामक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से देवनहल्ली (बंगलूर, कर्नाटक के पास) में नए बंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन और रखरखाव की परिकल्पना करने वाली परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में दिनांक [तिथि अंकित करें] को एक शेयरधारक करार ("शेयरधारक करार") निष्पादित किया है।

ख. [शेयरधारक करार के खंड 12.3(c)(iii) के निबंधनों के अनुसार, गारंटीदाता को हस्तांतरणकर्ता के रूप में, एक

- * सम्बद्ध संस्था ("अंतरिती") को अंशों (शेयरों) के प्रस्तावित अंतरण के अनुसरण में प्रत्येक अन्य पक्षकार को एक गारंटी प्रदान करना आवश्यक है, जिसका विवरण इसके संलग्नक में दिया गया है, जो अंतरिती के दायित्वों के उचित निष्पादन और निर्वहन के लिए प्रतिभूति के रूप में होगी ("गारंटी")।

अथवा

ख. शेयरधारक करार के खंड 12.3(d)(iii) के निबंधनों के अनुसार, गारंटीदाता की एक सम्बद्ध संस्था के शेयर

- * (अंश) गारंटीदाता की ही दूसरी सम्बद्ध संस्था ("अंतरिती") को प्रस्तावित अंतरण के अनुसरण में, गारंटीदाता को यथास्थिति संबंधित निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक की मूल (पेरेंट) कंपनी से अन्य पक्षकारों में से प्रत्येक को गारंटी प्रदान करना आवश्यक है, जिसका विवरण इसके संलग्नक में दिया गया है, जो अंतरिती के दायित्वों के उचित निष्पादन और निर्वहन की प्रतिभूति के रूप में होगी ("गारंटी")।

ग. तदनुसार, गारंटीदाता ने वैध प्रतिफल के लिए, अन्य पक्षकारों के पक्ष में यह गारंटी पत्र (विलेख) प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो शेयरधारक करार के अधीन अंतरिती द्वारा उसके दायित्वों के सम्यक् निष्पादन और निर्वहन की गारंटी देता है।

* जो लागू हो उसे चुनें।

अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य देता है:

1. इसमें प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित पूंजीकृत (कैपिटलाइज्ड) शब्दों का वही अर्थ होगा जो शेयरधारक करार में उन्हें क्रमशः सौंपा गया है।
2. खंड [12.3(ग)(iii) / 12.3(घ)(iii)] के निबंधनों के अनुसार, गारंटीदाता इसके द्वारा शेयरधारक करार के तहत अंतरिती के सभी दायित्वों के उचित और समय पर निष्पादन की अपरिवर्तनीय (Irrevocable) गारंटी देता है।
3. यह गारंटी, गारंटीदाता के गठन में किसी भी परिवर्तन या समापन/समापन-प्रक्रिया (Winding up) या किसी व्यक्ति या संस्था के साथ गारंटीदाता के किसी भी संविलयन, पुनर्गठन, विलय (Merger) या अमलगमेशन से प्रभावित नहीं होगी।
4. अन्य पक्षकारों द्वारा अंतरिती से देय किसी भी राशि के भुगतान को लागू करने में उपेक्षा, सहनशीलता या छूट (Waiver), अथवा अंतरिती को उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए समय का विस्तार देना, किसी भी तरह से गारंटीदाता को इस गारंटी के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।
5. गारंटीदाता, अन्य पक्षकारों को गारंटीदाता के अंशों (शेयरों) के अधिग्रहण के अनुसरण में सौंपे गए शेयरधारक करार के तहत अपने दायित्वों के गंभीर उल्लंघन (Material Breach) करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व, हानि या क्षति (जिसमें बिना किसी सीमा के, अन्य पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय शामिल हैं) से क्षतिपूरित (Indemnify) करने और सुरक्षित रखने का वचन देता है।
6. इसके तहत गारंटीदाता के दायित्व निरंतर बने रहने वाले दायित्व होंगे तथा ये शेयरधारक करार के तहत अंतरिती के दायित्वों की समाप्ति के साथ ही समाप्त (Co-terminus) होंगे।

जिसके साक्ष्य के रूप में, गारंटीदाता ने आज दिनांक माह , वर्ष को इस गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, मुहर लगाई है और इसे सुपुर्द किया है।

[गारंटीदाता का नाम और पता]

[अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]

[पदनाम]

[मुहर/सीवर]

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. नाम एवं पता:

2. नाम एवं पता:

* जो लागू हो उसे चुनें।

अनुसूची 5
गारंटीकृत अधिकतम मूल्य

21 सितंबर, 2001

परियोजना लागत, राज्य सहायता एवं संरचना पर चर्चा का अभिलेख

1. कर्नाटक सरकार द्वारा बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सरकारी आदेश संख्या IDD/15/DIA/2001 दिनांक 10/07/2001 के माध्यम से गठित वार्ता दल (NT) और सीमेंस कंसोर्टियम के बीच 13-23 अगस्त और 19-21 सितंबर के बीच दो दौर में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। ये बैठकें परियोजना लागत को अनुकूलित (ऑप्टिमाइज) करने तथा परियोजना के लिए राज्य सहायता (State Support) की मात्रा और संरचना की पहचान करने पर केंद्रित थीं। बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची संलग्न है।
2. लागत के विस्तृत विश्लेषण और अनुकूलन के बाद, परियोजना के लिए **गारंटीकृत अधिकतम मूल्य (GMP) 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 230mn)** तय किया गया है। अगले चरण में, विस्तृत इंजीनियरिंग और लागत मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाएगा, और इस गारंटीकृत अधिकतम मूल्य (GMP) के तहत अंतिम परियोजना लागत निर्धारित की जाएगी।
3. परियोजना लागत में **15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 15mn)** का आकस्मिक व्यय (Contingency) शामिल है, जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से लिया भी जा सकता है या नहीं भी।
4. विशेष रूप से, विस्तृत विश्लेषण और चर्चा के दौरान, लागत में बचत के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई थी। हालांकि, वर्तमान चरण में निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, ये मदें निम्नलिखित से संबंधित हैं:
 - a. मात्रा विवरण (BOQ) में किए गए अस्पष्ट, कुल प्रावधान;
 - b. लागत अनुमानों पर विचारों में महत्वपूर्ण भिन्नता;
 - c. मदों और घटकों की सोर्सिंग और खरीद (प्रोक्योरमेंट) के कारण होने वाले अंतर।इन मदों पर अंतिम लागत के आंकड़े विस्तृत इंजीनियरिंग और खरीद के दौरान अंतिम रूप दिए जाएंगे (नीचे पैरा 5 में सूचीबद्ध मदें)।
5. पैरा 4 में संदर्भित लागत बचत, जो **15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 15mn)** है, निम्नलिखित के विरुद्ध है:
 - a. फर्नीचर, सजावटी सामान और जलाशय/जल निकाय;
 - b. प्रणालियाँ ;
 - c. एस्केलेटर एवं अग्निशमन प्रणाली;
 - d. सीएनएस-एटीसी/एटीएम उपकरण।
6. **230 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 230mn)** की परियोजना लागत में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

तयशुदा लागत:	200 मिलियन अमेरिकी डॉलर
आकस्मिक व्यय:	15 मिलियन अमेरिकी डॉलर
पैरा 5 की मदों पर वृद्धिशील लागत (विस्तृत इंजीनियरिंग और खरीद के अधीन):	15 मिलियन अमेरिकी डॉलर
कुल:	230 मिलियन अमेरिकी डॉलर

7. नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा स्पष्टीकरण के बाद, वित्तीय मॉडल में अनुमानित एयरो-टैरिफ व्यवस्था में बदलाव आया है। इन स्पष्टीकरणों के बाद और संशोधित शुल्क संरचना को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित राजस्व के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) पर इन परिवर्तनों का प्रभाव सीमेंस कंसोर्टियम द्वारा **5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 5mn)** बताया गया है। कर्नाटक सरकार (GoK) को विश्वास है कि एक बेहतर एयरो टैरिफ और यात्री शुल्क व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि, जिस हद तक ऐसा सुधार प्राप्त नहीं होता है, राज्य सहायता को अतिरिक्त आकस्मिक निधि के रूप में अधिकतम **5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 5mn)** तक उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

8. तदनुसार, राज्य सहायता को निम्नानुसार संरचित करने का प्रस्ताव है:

क.	गारंटीकृत अधिकतम सहायता (पैरा 6क)	45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 45mn)
ख.	गारंटीकृत अधिकतम आकस्मिक सहायता (पैरा 6ख)	15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 15mn)
ग.	गारंटीकृत अधिकतम मद सहायता (पैरा 5)	15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 15mn)
घ.	गारंटीकृत अधिकतम अतिरिक्त आकस्मिक सहायता (पैरा 7)	5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 5mn)
कुल (Total)		80 मिलियन अमेरिकी डॉलर (\$ 80mn)

नोट:

मद 'क' को वित्तीय मॉडल में दर्शाए अनुसार ऋण (Debt) के आनुपातिक (pro-rata) रूप में लिया जाएगा।

मद 'ख' को तब लिया जाएगा जब और जैसे ही आकस्मिकता (contingency) का वित्तपोषण करना होगा।

मद 'ग' विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद और लागत सत्यापन के अधीन, ऋण के आनुपातिक रूप में होगी।
मद 'घ' एयरो-टैरिफ और यात्री शुल्क समायोजन के अधीन, ऋण के आनुपातिक रूप में होगी।

अनुसूची 5A: अधिकतम परियोजना लागत

वित्तीय मॉडल के अनुसार अधिकतम परियोजना लागत 1411.79 करोड़ रुपये है, जिसमें 77.75 करोड़ रुपये का आकस्मिक प्रावधान शामिल है।

अनुसूची 6:

मूल्यांकन तंत्र

1. शेयरों का उचित बाजार मूल्य का अर्थ एक इच्छुक विक्रेता और एक इच्छुक खरीदार के बीच लेन-देन के आधार पर तथा भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म (मूल्यांकनकर्ता) द्वारा निर्धारित शेयरों का मूल्य है; बशर्ते कि ऐसा मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकनकर्ता: (क) भूमि पट्टा करार के तहत कंपनी को प्रदान की गई भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य प्रदान नहीं करेगा या ध्यान में नहीं रखेगा; बशर्ते कि रियायत करार के अनुसार भूमि पर परियोजना विकसित करने के कंपनी के अधिकारों से उत्पन्न किसी मूल्य पर विचार किया जा सकता है।

(ख) कंपनी को दी गई राज्य सहायता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेय किसी भी मूल्य को बाहर रखेगा।

2. जहाँ इस करार की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो, शेयरों के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित पक्षकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, बोर्ड मूल्यांकनकर्ता का चयन करेगा और मूल्यांकनकर्ता को ऊपर पैराग्राफ 1 के अनुसार उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने का निर्देश देगा।

3. कंपनी मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के सात (7) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।

4. मूल्यांकनकर्ता उसके बाद बीस (20) दिनों की अवधि के भीतर उचित बाजार मूल्य निर्धारित करेगा और सभी पक्षकारों को प्रतियों के साथ बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगा।

5. ऐसे निर्धारण के लिए होने वाले लागत और व्यय, जिसमें मूल्यांकनकर्ता की फीस भी शामिल है, विक्रेता और/या खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा तर्कसंगत रूप से निर्धारित किया जाए।

अनुसूची 7:

खरीद दिशानिर्देश

संबंधित पक्षकारों के साथ परियोजना करार प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक शर्तों पर होंगे और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवस्थाओं पर आधारित होंगे, जो इसमें रेखांकित पारदर्शी लेखापरीक्षा और समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे:

1. कंपनी, अपने बोर्ड के सर्वसम्मति के निर्णय द्वारा, ऐसी परियोजनाओं या उसके घटकों में अनुभव रखने वाली ख्याति प्राप्त फर्मों को स्वतंत्र परामर्शदाता इंजीनियर (आई.सी.ई.) के रूप में नियुक्त करेगी, जिन्हें वित्तीय सलाहकारों की एक ख्याति प्राप्त फर्म का समर्थन प्राप्त होगा। आई.सी.ई. फर्म कंपनी के किसी भी शेयरधारक की सहयोगी या सम्बद्ध संस्था नहीं होगी।

2. आई.सी.ई. का कार्यकाल वाणिज्यिक परिचालन तिथि के एक (1) वर्ष पूरा होने तक जारी रहेगा। बोर्ड सर्वसम्मति से निर्णय द्वारा नियुक्ति को आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

3. आई.सी.ई. निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) विभिन्न तकनीकी / वास्तुकला / मास्टर प्लान सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए सभी डिजाइनों, चित्रों, विनिर्देशों और खरीद दस्तावेजों की समीक्षा उनकी अनुरूपता और तर्कसंगतता के लिए करेगा।

(ख) समान दायरे और प्रकृति की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन परियोजनाओं के विरुद्ध परियोजना विनिर्देशों और लागत के लिए एक 'बेंचमार्किंग अभ्यास' आयोजित करेगा।

(ग) कंपनी द्वारा नियुक्त परियोजना सलाहकारों और ऋणदाता के इंजीनियर के समन्वय में, निर्माण / ई.पी.सी. / उपकरण आपूर्ति अनुबंधों के लिए इष्टतम और प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक शर्तों पर पहुँचेगा। ये शर्तें सुपुर्दगी की गुणवत्ता, सुपुर्दगी के समय सारिणी और मूल्य की स्थिरता को ध्यान में रखेंगी।

(घ) आई.सी.ई. बोर्ड को विभिन्न अनुबंधों के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त सर्वसम्मत शर्तों का सेट प्रस्तुत करेगा। जहाँ आई.सी.ई. और परियोजना सलाहकारों के बीच ऐसी सर्वसम्मत शर्तें नहीं बनाई जा सकती हैं, वहाँ आई.सी.ई. और परियोजना सलाहकार बोर्ड के समक्ष कारणों और मूल्यांकन के साथ एक भिन्नता विवरण प्रस्तुत करेंगे।

4. विभिन्न सलाहकारों द्वारा तकनीकी विवरणों, आई.सी.ई. की सिफारिशों और ऋणदाता के इंजीनियरों के आधार पर, बोर्ड परियोजना करारों की शर्तों के संबंध में निर्णय लेगा।

अनुसूची 8 एवं 8ए:

गतिविधियों की अनुसूची

गतिविधियों की अनुसूची एवं पुनरीक्षित गतिविधियों की अनुसूची:

- प्रारंभिक एस.एच.ए. निष्पादन
- एस.एच.ए. पर हस्ताक्षर करना
- परियोजना टीम और बजट की स्थापना
- सलाहकारों / वित्तीय सलाहकारों का चयन
- मास्टर प्लान तैयार करना
- नियोक्ता की आवश्यकताएं
- ई.पी.सी. बोली दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया
- ई.पी.सी. अनुबंध वार्ताएं
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)
- यातायात अध्ययन एवं बाजार अध्ययन
- व्यावसायिक योजना एवं वित्त योजना
- जोखिम विश्लेषण
- स्थल पट्टा करार एवं राज्य सहायता करार
- ओ.एंड एम. बोली एवं करार
- वायु यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) करार
- वित्त वार्ताएं एवं करार
- बीमा
- सरकारी स्वीकृतियां, अनुमतियां एवं अनुमोदन
- निर्माण प्रारंभ

अनुलग्नक 1:

मास्टर प्लान

मास्टर प्लान (चरण I) - सांकेतिक अवधि 2006-2010

मास्टर प्लान (चरण II) - सांकेतिक अवधि 2011-2015

मास्टर प्लान (चरण III) - सांकेतिक अवधि 2016-2026

मास्टर प्लान (दीर्घकालिक दृष्टिकोण)

अनुलग्नक 2:

प्रारंभिक चरण का विवरण

विमानपत्तन के प्रारंभिक चरण का विवरण:

1. स्थान:

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का स्थल बंगलौर - हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के पूर्व में बंगलौर से 29 किमी और 30 किमी के बीच तथा देवनाहल्ली शहर के 4 किमी दक्षिण में स्थित है। यह स्थल 4309.45 एकड़ (1744.01 हेक्टेयर) के क्षेत्र को कवर करता है और अक्षांश 13°15'50" से 13°12'15" उत्तर तथा देशांतर 77°40'20" से 77°44'09" पूर्व से घिरा हुआ है।

विमानपत्तन का लेआउट डिजाइन स्थल के भीतर एक दूसरी समानांतर रनवे (भविष्य) की अनुमति देता है। रनवे के बीच 1925 मीटर की पृथक्करण दूरी की अनुमति है। यह दूरी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के दिशानिर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र रनवे संचालन की अनुमति देती है और टर्मिनल तथा अन्य वाणिज्यिक विकास के लिए रनवे के बीच के क्षेत्र के इष्टतम उपयोग का प्रावधान करती है।

2. टैक्सीवे:

रनवे और एप्रन के बीच प्रस्तावित टैक्सीवे प्रणाली विमानों को न्यूनतम देरी के साथ यात्रा करने में सक्षम बनाएगी और रनवे को अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करने की अनुमति देगी। प्रारंभिक चरण में विमानपत्तन टैक्सीवे प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- आंशिक एकल टैक्सीवे
- प्रवेश / निकास टैक्सीवे
- एप्रन टैक्सी लेन

प्रारंभिक चरण में, रनवे के लिए प्रवेश / निकास टैक्सीवे 09 थ्रेशोल्ड से 800 मीटर, 2800 मीटर और 4000 मीटर पर प्रस्तावित हैं, ताकि रनवे पर विमानों की आवाजाही में तेजी लाई जा सके और टैक्सी के समय और दूरी को कम किया जा सके।

3. एप्रन:

एप्रन और टर्मिनल का लेआउट अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एप्रन डिज़ाइन के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- रनवे तक/से टैक्सी की दूरी को कम करना
 - देरी से बचने के लिए पर्याप्त टैक्सी लेन प्रदान करना
 - एयरसाइड सड़कों और उपकरण पार्किंग क्षेत्रों को प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान के लिए ग्राउंड सपोर्ट पर्याप्त और कुशल है
 - यह सुनिश्चित करना कि संचालन सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके
- प्रारंभिक चरण में भविष्य में दो संपर्क स्टैंड जोड़ने के विकल्प के साथ 3 इन-कॉन्टैक्ट स्टैंड का प्रावधान किया गया है।

4. एयरसाइड सेवा सड़कें:

एयरसाइड और लैंडसाइड सड़क प्रणाली को जोड़ने के लिए वाहनों के परिवहन हेतु एक एयरसाइड सड़क प्रणाली प्रस्तावित है। एक एयरसाइड सेवा सड़क (एप्रन सेवा सड़क) टर्मिनल भवन के एयरसाइड चेहरे पर चलेगी। यह पृथक्करण बे, अग्निशमन केंद्र, कार्गो, ईंधन फार्म और रखरखाव क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है।

5. मुख्य पहुंच मार्ग:

एन.एच. 7 को टर्मिनल कॉम्प्लेक्स से जोड़ने वाला, रनवे के समानांतर एक दो लेन का डामरीकृत पहुंच मार्ग प्रस्तावित है। एन.एच. 7 के चौराहे पर एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। टर्मिनल को सेवा देने वाली यह सड़क विमानपत्तन सहायता सुविधाओं को भी जोड़ेगी।

6. वायु यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) टॉवर:

प्रस्तावित नियंत्रण टॉवर की ऊंचाई 65 मीटर है। यह ऊंचाई परिचालन क्षेत्रों और पहुंच मार्गों का स्पष्ट दृश्य प्रदान करेगी। नियंत्रण टॉवर रनवे के केंद्र रेखा से 890 मीटर की दूरी पर लैंडसाइड पर स्थित है। लगभग 2300 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र के साथ एक ए.टी.सी. कॉम्प्लेक्स (तकनीकी ब्लॉक) प्रस्तावित है।

7 विमानक्षेत्र प्रकाश व्यवस्था

रनवे प्रकाश व्यवस्था प्रणाली में थ्रेशोल्ड, एज और एंड लाइटें शामिल होंगी। श्रेणी 1 परिशुद्धता उपगमन प्रकाश प्रणाली के साथ दोनों उपगमन मार्गों पर पी.ए.पी.आई. स्थापित किया जाएगा।

आंशिक एकल टैक्सीवे, निकास और प्रवेश टैक्सीवे तथा एप्रन के जुड़ान मार्गों के लिए उन्नत सर्वदिशिक एज लाइटों के साथ टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी। रात्रि परिचालनों के दौरान विमानों के कुशल और सुरक्षित रखरखाव के लिए एप्रन फ्लडलाइटिंग प्रदान की जाएगी। संकेत प्रणाली भी प्रदान की जाएगी।

8 खोज एवं अग्निशमन सुविधाएं

विमानपतन को विमानक्षेत्र श्रेणी 9 के अनुरूप सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। अग्निशमन केंद्र इस प्रकार स्थित है कि अनुकूलतम दृश्यता और सतह की स्थिति में गतिशीलता क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए प्रतिक्रिया समय न्यूनतम होगा। योजनाबद्ध अग्निशमन केंद्र का कुल क्षेत्रफल 1457 वर्ग मीटर है। अग्निशमन केंद्र के ऊपर एक वॉचटॉवर स्थित है।

9 जल आपूर्ति

बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान में चिह्नित सेवा क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा और दबाव में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। औसत दैनिक मांग के 2 दिनों के लिए पेयजल भंडारण टैंक और अग्निशमन के लिए 1 दिन की मांग के लिए कच्चे पानी के भंडारण टैंक, जिसमें विमानपतन सुविधाओं तक वितरण नेटवर्क शामिल हैं, का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पेयजल भूमिगत सम्प की प्रस्तावित क्षमता 4000 घन मीटर तथा कच्चे पानी के सम्प की क्षमता 1800 घन मीटर है। जल को हाइड्रो न्यूमैटिक पंपिंग प्रणाली का उपयोग करके पंप किया जाएगा।

पेजेल को सेवा क्षेत्र से निकलने वाली पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली मुख्य भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अग्निशमन के लिए समान अवधारणा का एक अलग वितरण नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। यह नेटवर्क हाइड्रेंट्स से सुसज्जित होगा।

10 सीवेज निपटान

सीवरेज और वर्षा जल निकासी को अलग प्रणालियों के रूप में डिज़ाइन किया गया है। सीवरेज प्रणाली में संग्रह नेटवर्क, पंप पिट, सीवेज शोधन संयंत्र आदि शामिल होंगे। विमानपत्तन से संबंधित सुविधाओं के सीवेज जल को पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली तथा मैन-होल्स से सुसज्जित लैंडसाइड और एयरसाइड मुख्य डक्ट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। 1500 घन मीटर क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र बनाया जाएगा। सीवेज शोधन संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा और उपचारित जल को बागवानी के लिए पुनर्चक्रित किया जाएगा।

11 जल निकासी

जल निकासी प्रणाली का डिज़ाइन स्थलाकृति, तैयार गठन स्तरों, पक्के क्षेत्रों और भवन की छतों से सतह के जल-प्रवाह द्वारा निर्धारित होता है। मौजूदा सतह की स्थलाकृतिक स्थितियां और परिणामस्वरूप, सभी विमानपत्तन संबंधी सुविधाओं की ग्रेडिंग की गई पट्टी, उत्तर-दक्षिण उन्मुख जल-विभाजक का निर्माण करती हैं। खुली पक्की नालियों का निर्माण किया जाएगा। पक्के मार्गों के नीचे आर.सी.सी. बॉक्स कलवर्ट या पाइप कलवर्ट प्रदान किए जाएंगे।

12 दूरसंचार

दूरसंचार प्रणाली में एक एक्सचेंज सुविधा और वितरण नेटवर्क शामिल होगा।

13 विद्युत

विमानपत्तन को बिजली की आपूर्ति बेसकॉम / के.पी.टी.सी.एल. द्वारा 66 के.वी. स्तर पर की जाएगी। मुख्य इनकमिंग सबस्टेशन में 66 के.वी. को 11 के.वी. में बदलने के लिए 16 एम.वी.ए. के 2 ट्रांसफार्मर प्रदान किए जाएंगे। इन ट्रांसफार्मरों से विमानपत्तन की मुख्य बिजली प्रणाली को 11 के.वी. स्तर पर आपूर्ति की जाएगी। विद्युत प्रणाली में ट्रांसफार्मर स्टेशन, एक वितरण नेटवर्क और आपातकालीन बिजली आपूर्ति शामिल है। वितरण नेटवर्क को रिंग मेन्स के साथ नियोजित किया जाएगा, ताकि दो अलग-अलग स्रोतों से हमेशा बिजली आपूर्ति संभव हो सके। उत्तर बिजली स्टेशन में एक सहायक बिजली जनरेटर प्रणाली (लगभग 6 एम.वी.ए.) स्थापित की गई है जो बिजली आपूर्ति ठप होने की स्थिति में विमानपत्तन के आवश्यक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करेगी।

14 यात्री टर्मिनल भवन

14.1 लेआउट अवधारणा: यात्री टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिचालनों को समायोजित करने में सक्षम एकल, दो-स्तरीय टर्मिनल भवन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आगमन और प्रस्थान को आधुनिक, सरल, सीधे प्रवाह प्रणाली के साथ लंबवत रूप से अलग किया गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान लाउंज, और अधिकांश खुदरा दुकानें स्तर 2 (प्रथमतः) पर स्थित हैं। चेक-इन सुविधाएं और सामान पुनर्प्राप्ति स्तर 1 (भूतल) पर स्थित हैं। वी.आई.पी. लाउंज स्तर 2 (प्रथमतः) पर स्थित है। संपूर्ण टर्मिनल को संचालन में आसानी और न्यूनतम रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरा टर्मिनल पूरी तरह वातानुकूलित है।

14.2 टर्मिनल भवन की क्षमता: प्रारंभिक विकास में व्यस्ततम घंटे में टर्मिनल भवन को 2017 यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। प्रस्तावित डिज़ाइन / मानक सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं और परिचालन मानकों को प्रतिबिंबित करेंगे। यह डिज़ाइन सभी मौसमी स्थितियों में 24 घंटे के संचालन की पूर्ति करेगा। प्रदान की गई सुविधाएं आई.ए.टी.ए. / आई.सी.ए.ओ. मानकों को पूरा करेंगी। नियोजित कुल फर्श क्षेत्र लगभग 55000 वर्ग मीटर है। यातायात वृद्धि के साथ टर्मिनल का मॉड्यूलर विस्तार परिचालनों को बाधित किए बिना और मौजूदा अग्रभाग के साथ मिलान करके संभव है। प्रस्तावित टर्मिनल उपकरणों में शामिल हैं:

- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर

- उड़ान सूचना प्रणाली

- सी.सी.टी.वी. / सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली

- अग्नि अलार्म और धुआं पहचान प्रणाली

- बैगेज कन्वेयर

- एस्केलेटर, लिफ्ट और स्वचालित दरवाजे

- अप्रवासन और सीमा शुल्क काउंटर

- यात्री बैठने के लिए फर्नीचर / सार्वजनिक फर्नीचर

- रेस्तरां फर्नीचर

- संकेत / पिक्टोग्राफ

- भवन प्रबंधन प्रणाली

- बैगेज ट्रॉलियां

- चेक-इन काउंटर

15 ईंधन फार्म

बंगलौर में उतरने वाले विमानों में ईंधन भरने के लिए विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए एक भंडारण क्षेत्र प्रदान करना आवश्यक है। मास्टर प्लान में विमानपत्तन स्थल के पश्चिम में ईंधन फार्म के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

डिपो से विमान तक ईंधन पहुंचाने के लिए फ्यूल हाइड्रेंट प्रणाली का प्रावधान आपूर्तिकर्ता के साथ रियायत करार में शामिल किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में रनवे परिचालनों के बहुत अधिक न होने और ईंधन आवश्यकताओं के बहुत अधिक न होने के कारण, दूरस्थ स्टैंडों के लिए फ्यूल हाइड्रेंट और ईंधन टैंकों के संयोजन का उपयोग विमान में ईंधन भरने के लिए किया जाएगा।

16 टर्मिनल पार्किंग

विकास के पहले चरण में भूतल पर टर्मिनल भवन के सामने कार पार्क की योजना बनाई गई है। यह स्थान विमानपत्तन के यात्रियों और आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा। पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के लिए अलग-अलग क्षेत्र चिह्नित हैं। निजी कारों, टैक्सियों, स्टाफ कारों, स्टाफ वाहनों, वी.आई.पी. कारों और वी.वी.आई.पी. कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

17 प्रशासनिक भवन

विमानपत्तन प्रबंधन, विमान परिचालकों, सुरक्षा और स्टाफ कैंटीन के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए लैंडसाइड पर तकनीकी ब्लॉक के निकट एक अलग प्रशासनिक भवन की योजना बनाई गई है। प्रशासनिक ब्लॉक का नियोजित कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है।

18 रखरखाव भवन

विमानपत्तन के वाहनों, विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों और अन्य उपयोगों के लिए रखरखाव सुविधाओं की आवश्यकता होती है। रखरखाव सुविधा में सामग्री और स्पेयर पार्ट्स के लिए भंडारण स्थान शामिल होगा। इस सुविधा के लिए प्रदान किया गया स्थान 2190 वर्ग मीटर है।

19 ग्राउंड उपकरण रखरखाव क्षेत्र

एप्रन पर उपयोग किए जाने वाले ग्राउंड उपकरण भारी होते हैं और सामान्य सड़कों पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं। एयरसाइड पर एक जी.एस.ई. रखरखाव क्षेत्र की योजना बनाई गई है। जी.एस.ई. भवन का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है।

20 सुरक्षा दीवार

लैंडसाइड और एयरसाइड सुविधाओं को अलग करने वाली सुरक्षा दीवार या सुरक्षा बाड़ का निर्माण बी.सी.ए.एस. विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बी.आई.ए.एल. संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक चारदीवारी का भी निर्माण किया जाएगा।